



REGIONAL OFFICE  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
NII-19, RANIA, KANPUR DEHAT-209304

पत्रिका :- 1297/R-130/22

दिनांक :- 28/07/22

To,

**The Registrar,**  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg, New Delhi.  
E-mail - judicial-ngt@gov.in

**Sub: Submission of Compliance Report pursuant to the order dated 12.11.2021 passed by Hon'ble National Green Tribunal in appeal no. 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020 & 18/2020.**

Sir,

In compliance of order dated 12.11.2021 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Appeal no. 14/2020 (Chandni Chemicals Pvt Ltd. Vs UPPCB), 15/2020 (Amelia Textiles and Chemicals Pvt Ltd. Vs UPPCB), 16/2020 (Rukmani Chemicals Ltd. Vs UPPCB), 17/2020 (Hilger Chem Pvt Ltd. Vs UPPCB) & 18/2020 (Waris Chemicals Pvt Ltd. Vs UPPCB), the compliance report is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

  
28-7-22  
(Ashutosh Pandey)  
Regional Officer (Incharge)

**Compliance Report pursuant to the order dated 12.11.2021 passed by Hon'ble National Green Tribunal in appeal no. 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020 & 18/2020.**

**And**

**Reply of representation filed by the Appellant against Environment Compensation imposed vide letter no. H74349/C-2/NGT-46/2022 dated 14.04.2022**

As per the official record, ground water of village Khanchandpur and nearby has been contaminated with hexavalent chromium due to illegal dumping of hazardous waste generated by 8 Basic Chrome Sulphate (BCS) producing industries. Determination of total chromium waste is based upon the DPR prepared by M/S ERM India Pvt. Ltd. with CPCB consultation is 62225 MT. Total Hazardous wastes being generated by all 8 concerning industries. The percentage contributed by the concerned industry is based on the production capacity of the industry. Imposition of EC is based on the true facts and official records in the light of natural justice. The amount of Environment Compensation has been calculated and imposed on the industries on the basis of the guidelines [Determination of Environment Compensation recovered for violation of Hazardous and Others (Management & Trans-boundary Movement) Rules, 2016] prepared by CPCB.

1. That U.P. Pollution Control Board had imposed Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore against 06 defaulting industries on 19-11-2019 after giving due opportunity through show cause notice dated 24.10.2019.
2. The industries responsible for illegal dumping of chromium waste filed Appeal Nos. 14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 before Hon'ble Tribunal for getting relief in the matter of imposition of environmental compensation against them by Uttar Pradesh Pollution Control Board. That Hon'ble Tribunal has given following directions vide its order dated 04.01.2021:-

*....." The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defense to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.*

*The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly.".....*

3. In compliance of Hon'ble NGT order dated 04.01.2021, the hearing was done by UPPCB on 16.03.2021. On the basis of information given by applicants during hearing on 16.03.2021, more investigation were conducted and 05 other defaulter units engaged in production of Basic Chrome Sulphate have been identified, which were responsible for the illegal dumping of chromium waste on said site.





4. That U.P. Pollution control board has issued show cause notices for imposition of environmental compensation against 05 newly identified units on 29.09.2021.
5. That U.P. Pollution Control Board considered the representation of industries and report was sought from Regional Officer, Kanpur Dehat. Regional Officer, Kanpur Dehat has sent the site inspection reports of 06 industries on 13-07-2021. During inspection the chromium waste 1475 MT and 3177 MT was found stored in M/s Waris Chemicals Pvt Ltd, Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat and M/s Hilger Chem Pvt Ltd, Village-Chiraura Raipur, Kanpur Dehat respectively.
6. That Hon'ble Tribunal took up the matter on 12.11.2021 and passed further directions in appeal Nos. 14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 vide order dated 12.11.2021. the relevant portion of the directions are reproduced below;

*".....7. Though we are not taking up the matter for consideration on merits today in view of difficulty expressed by the learned Counsel for the State PCB, we find that due action has still not been taken in terms of earlier orders. It is necessary that a specific finding is recorded about the attributability of the default to particular units. The report does not show such scientific exercise for determining liability. The conclusion fixing liability must be backed by scientific data and record including Form No. 1 and Form No. 13 submitted by concerned units at the time of seeking consents. The stand of the concerned units needs to be duly analysed to ascertain its veracity. To the extent the liability is admitted therein, the same ought to be straightaway enforced, pending further consideration. Let such an exercise be undertaken*

*8. The appellants have filed their objections to the report with applications for condonation of delay in filing such objections to the report of the State PCB dated 30.09.2021. IA Nos. 201/2021 to 205/2021 filed for condonation of delay in filing objections are allowed and objections are taken on record. Above observations are subject to consideration of the said objections....."*

7. That out of these additional 05 units, which were issued show cause notice, 04 units have submitted their reply and 01 unit M/s Kaleena Chemicals, Pvt. Village Malo, GT Road, Chaubepur, Kanpur Nagar had not submitted the reply of show cause notice.
8. That M/s KhannaVivek Chemicals Pvt. Ltd. C30D, Site-I, Panki, Kanpur Nagar and M/s Unichem India, Village Malo, GT Road, Chaubepur, Kanpur Nagar have submitted their representation in the U.P. Pollution Control Board. Regional Officer, Kanpur has submitted the report alongwith recommendation to revoke the show cause notices. As per the report all the details of purchase of raw material, process of manufacture, material balance, generation of hazardous waste, disposal of hazardous waste to TSDF with relevant Form-10, stored hazardous waste prior to 2007 were taken into account before sending the report with recommendation to revoke the show cause notice, as the unit has properly disposed of all the generated hazardous waste into common TSDF and no waste was dumped to Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat site by these two units. These 02 industries have also modified their manufacturing process, so that no BCS waste is generated from these 02 units at present. So, on the basis of report and recommendation of Regional Officer, Kanpur, the show cause notices issued to these 02 units have been revoked after approval from competent authority on 14.01.2022.









9. That M/s IGS Chemicals Pvt Ltd, Kanpur Nagar has submitted their representation on 08-04-2022. Regional Officer, Kanpur has submitted the report on 09.04.2021 stating that industry has informed that the production was done only from 2003 to 2005 and during that period about 440.695 MT chromium purchased and 881.30 BCS produced and 111.80 MT waste was generated. The waste 111.80 MT has been sent to its sister unit M/s Waris Chemicals Pvt Ltd, Umran, Rania, Kanpur Dehat and safely stored under covered shed. Regional Officer, Kanpur Dehat and Regional Officer, Kanpur Nagar has jointly inspected the unit M/s Waris Chemicals Pvt Ltd, Umran, Rania, Kanpur Dehat for verification of stored waste quantity. Waste about 110 to 115 MT in plastic bags was found stored under covered shed. Regional Officer, Kanpur has recommended for revocation of show cause notice to M/s IGS Chemicals Pvt Ltd.. Accordingly, the show cause notice dated 29.09.2021 issued to M/s IGS Chemicals Pvt Ltd has been revoked on 14.04.2022.
10. That M/s Rahman Industries Ltd, (Old Name Bharat Chemical Udhyog) 1002, 1003, Akrapur, Chakrapur, Unnao has also submitted its reply with respect to issued show cause notice. The main content of the reply was that they have purchased the closed unit M/s Bharat Chemical Udhyog, 1002, 1003, Akrapur, Chakrapur, Unnao in Year 2004. They have taken membership of common TSDF for disposal of hazardous waste since start of production in their unit and have obtained relevant authorization under HWM Rule and relevant consent to operate under Air and Water Act. Their unit is law abiding unit and the actual defaulter was the old unit M/s Bharat Chemical Udhyog, 1002, 1003, Akrapur, Chakrapur, Unnao which was closed by UPPCB and has also provided the name and address of the owners of the old unit. U.P. Pollution Control Board has directed Regional Officer, Unnao to go through the representation and submit the report, taking into cognizance the direction of Hon'ble NGT while deciding the representation. Regional Officer, Unnao has submitted the report and has confirmed that M/s Rahman Industries Ltd. has purchased the above unit in Year 2004 when the unit was lying closed as per direction of Board. Regional Officer, Unnao has also informed that the unit M/s Rahman Industries Ltd, 1002, 1003, Akrapur, Chakrapur, Unnao is complying unit. On the basis of recommendation of Regional Officer, Unnao and reply of industry, show cause notice issued against M/s Rahman Industries Ltd, 1002, 1003, Akrapur, Chakrapur, Unnao has been revoked on 17.01.2022 and fresh show cause notice has been issued against the owners of actual defaulter unit M/s Bharat Chemical Udhyog vide letter dated 17.01.2022.
11. That Regional Officer, Unnao has sent the report dated 13.04.2022 informing that M/s Bharat Chemical Udhyog has submitted representation on 13.04.2022. Applicant has informed that the land has been given on lease to M/s Bharat Chemical Udhyog by Smt. Tarannum Fatima in 1997. As per representation unit was operated for total 567 days and due to infelicitous, industry had stopped production. Thereafter Smt. Tarannum Fatima has sold the industry along with office and Tin Shed to M/s Rahman Export Pvt Ltd, Wajidpur, Jajmau, Kanpur on 28.06.2004. Applicant has submitted the details showing that during production since 01 July 1999 to 31 December 2003, the industry was operated for 567 days and 226.80 MT hazardous waste was generated.
12. That the records available in the Regional Office has been scrutinized and as per office records during January 2001 to March 2001, industry has been operated for total 33 days,

which matches with the details submitted by the industry. For rest period, the detail is not available in the office records. As per the inspection report dated 28.08.1999, the hazardous waste generated from the industry is 15 Ton per month. Thus, on the basis of 25 days per month operational period and hazardous waste generation 15 Ton per month, 311.27 MT hazardous waste is generated in 567 days.

13. As per the information submitted by unit, the waste generated in 567 days has been stored in 03 pucca tanks of size 11x7x5 ft-02 Nos. and 13x7x5 ft. The size of first two tanks has been verified through the inspection report dated 15.02.2001 and 07.04.2001. But when the unit was sold to M/s Rahman Exports Pvt Ltd., neither such storage was found as per the statement of M/s Rahman Exports Pvt Ltd., nor any proof was provided regarding disposal of stored hazardous waste to Common TSDF. So as per recommendations of Regional Officer, Unnao, Environmental Compensation was imposed against the unit for disposal of 311.27 MT chromium waste.
14. All the 05 units, who had gone to Hon'ble Tribunal for filing the appeal, have not given any record regarding Form-1 and Form-13. The inspection report of Regional Officer, Kanpur Dehat/Kanpur Nagar of relevant period shows that the concerned industries have time and again, thrown their generated hazardous waste unscientifically outside their industry premises. The relevant reports are attached as **Annexure-1**
15. This shows that the concerned industries were definitely responsible for disposal of generated hazardous waste to the chromium dump site. Moreover, this is also a fact that this dumped hazardous waste has impacted the soil due to leachate, which has inturn increased the size of dumped hazardous waste. Finally, the Environmental Compensation against total 08 units responsible for dumping of chromium waste have been imposed on dated 14.04.2022 in the ratio of their production and operation period and details of existing storage of chromium waste inside the industrial premises, which is still not disposed in some units.

Industries could not object on the imposition amount because Environmental Compensation imposed is on true basis and industry did not submit any proof against facts. Imposition of Environmental Compensation is based upon the true facts and on official records in the light of natural justice. On the basis of above facts it is recommended to reject industry representation letter Dated 23/05/2022.

The details of Environmental Compensation imposed against the units are as follows:

Sr. No.	Name & Address of Industry	Production capacity (MTD)	Operational Period	Assessed quantity of dumped Chromium waste as per percentage of production. (MT)	Revised Assessed quantity of dumped Chromium waste after assessment of stored quantity in the premises. (MT)	Revised Environmental Compensation (in Rs.)
1	M/s Cerulean Chemicals Pvt Ltd, Khanchadpur, Rania, Kanpur dehat.	4	1990 to Oct 2005 (180 month)	उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल वेस्ट का लगभग 28.092 प्रतिशत (क्रोमियम वेस्ट 17392.854 एम.टी.)	17392.854+ [28.092*4652/(28.092+ 8.779+4.682+15.021+5.774)] = 19488.874	87,69,99,345

*[Signature]*

-4- *[Signature]*

*[Signature]*

2	M/s Waris Chemicals Pvt Ltd. Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat	3.5	1994 to Oct 2005 NOC dated 5-9-94 (134 month)	<p>उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल वेस्ट का 18.299 प्रतिशत (क्रोमियम वेस्ट लगभग 11329.512 एम.टी)</p> <p>उद्योग परिसर में लगभग 1475 एम.टी. क्रोमियम वेस्ट निरीक्षण के समय भण्डारित पाया गया। जिसमें 111.8 एम.टी. मेसर्स आई0जी0एस0 केमिकल प्रा0लि0 से जनित वेस्ट है।</p> <p>उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा लगभग 9854.512 एम.टी. क्रोमियम वेस्ट को अवैध रूप से फेका गया है।</p>	11329.512-1475 = 9854.512	44,34,53,042
3	M/s Chandni Chemicals Pvt Ltd, Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat.	3	1999 to Oct 2005 NOC dated 12-8-99 (75 month)	<p>उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल वेस्ट का लगभग 8.779 प्रतिशत (क्रोमियम वेस्ट लगभग 5435.267 एम.टी.)</p>	5435.267+[8.779 *4652/ (28.092+8.779+4.682+15.021+5.774)] =6090.273	27,40,62,295
4	M/s Amiliha Textiles & Chemicals Pvt Ltd, 23, Khanchandrapur, Rania, Kanpur Dehat	3	2001 to Oct 2005 NOC dated 11-09-2001 (40 month)	<p>उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल वेस्ट का लगभग 4.682 प्रतिशत (क्रोमियम वेस्ट लगभग 2898.809 एम.टी.)</p>	2898.809+[4.682 *4652/ (28.092+8.779+4.682+15.021+5.774)] =3248.146	14,61,66,557
5	M/s Heilger Chem Pvt Ltd, Vill-Chiraurarapur, Rania, Kanpur Dehat.	4	1995 to Oct 2005 (124 months)	<p>उत्पादन क्षमता के आधार पर जनित कुल वेस्ट का 19.352 प्रतिशत लगभग 11981.744 एम.टी. क्रोमियम वेस्ट उद्योग परिसर में लगभग 3177 एम.टी. क्रोमियम वेस्ट निरीक्षण के समय भण्डारित पाया गया।</p> <p>उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा लगभग 8804.744 एम.टी. क्रोमियम वेस्ट को अवैध रूप से फेका गया है।</p>	11981.744 – 3177=8804.744	39,62,13,484
6	M/s Rukmani Chemicals Pvt Ltd. Rania, Kanpur Dehat.	3.5	31-08-96 to Oct 2005 NOC dated 31-08-96 (110 month)	<p>उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल वेस्ट का 15.021 प्रतिशत (क्रोमियम वेस्ट लगभग 9300.346 एम.टी)</p>	9300.346+[15.021 *4652/ (28.092+8.779+4.682+15.021+5.774)] =10421.134	46,89,51,039
7	M/s Kaleena Chemicals, Pvt. Village Malo, GT Road, Chaubepur, Kanpur Nagar	2	24-09-1999 21-10-2005 (74 months)	<p>उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल वेस्ट का 5.774 प्रतिशत (क्रोमियम वेस्ट लगभग 3575.198 एम.टी.)</p>	3575.198 +[5.774*4652/(28.092+8.779+4.682 +15.021+5.774)] =4006.046	18,02,72,088

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

8	M/s Bharat Chemical Udhog C/O Smt Tarannum Fatima W/o Shri Sahabuddin and Shri Sahabuddin S/o Mohd Nafees, 39/72, Majeed Ahmad Road, Kanpur Nagar and Shri Iftekharul Amin, Shri Iqbal Ahsan, Shri Waqarul Amin	-	567 days	उत्पादन के आधार पर जनित क्रोमियम वेस्ट लगभग 311.270 एम.टी.	311.270	14,00,71,50
कुल योग					62,225 MT	280,01,25000



(Ashutosh Pandey)  
A.E.E./Regional Officer  
(Incharge)  
Kanpur Dehat



(Dr. Anil Kumar Mathur)  
Environmental Engineer  
Lucknow



(J.P. Maurya)  
Environmental Engineer  
Lucknow



(Radhey Shyam)  
Environmental Engineer  
Lucknow



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३ए सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर कानपुर - २०८ ०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

1312/A-10/03

4-9-03

दिनांक  
सेवा में

6/8/7  
5-9-3

मुख्य पर्यावरण अभियंता। वृत्त २।  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय : बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा हेजार्डस सालिड वेस्ट निस्तारण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० एफ 18400 /सी- 2/ सा० हेजार्डस- 171/ 2003दि० 17, 07, 03 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में मे० अमिलिहा टेक्सटाइल्स प्रा० लि०, रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण इस कार्यालय के सहा० पर्यावरण अभियंता एवं अवर अभियंता द्वारा किया गया। उद्योग द्वारा बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले कोम युक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी भण्डारण हेतु पक्का टैंक बनाया गया है, परन्तु उद्योग द्वारा उक्त हेजार्डस वेस्ट को उक्त टैंक में न डालकर रोड साइड व आस पास के अन्य क्षेत्रों में डाला जा रहा है, जिस हेतु बोर्ड द्वारा कई बार निर्देश भी दिये जा चुके हैं, परन्तु उद्योग द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राज मार्ग द्वारा कालपी मार्ग को चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है, परन्तु रोड साइड पर वेस्ट का डाले जाने से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ग्राम कुम्भी अकबरपुर रीगायां में हेजार्डस वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सामूहिक हेजार्डस वेस्ट स्थल पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भूदीय  
8/2/03  
आई० एन० त्यागी।  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रस्तावित

संजीव...

5/9/03

6/9  
4/9/03  
M/03

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अद्येहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक २१.०८.०३ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री सन्तोष पाण्डेय, मैनेजर उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है।

१. उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओए, सोडा ऐश, क्रास्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन २.० टन प्रति दिन किया जाता है।
२. उद्योग में जल का प्रयोग धरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उद्योग में न्यूट्रियल इजेशन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्लावक को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
- ३। उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में ३.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध धिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग ३० मी० है। उद्योग में एक क्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ ३० मी० ऊँची व्यवस्था स्थापित है।
४. उद्योग में क्रोमयुक्त परिसंकटयम ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी मण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
५. उद्योग परिसर में भी क्रोमयुक्त वेस्ट को कच्ची भूमि पर रखा जाता है तथा उद्योग द्वारा बोर्ड के आदेशों की अवहेलना कर वेस्ट का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर रोड साइड तथा आस-पास की भूमि पर डाला जा रहा है।
६. कानपुर-देहात कुम्भी में परिसंकटयम अपशिष्ट सामुहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आर्बन्टि की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

क्षेत्रीय अधिकारी

(अवर अमियन्ता)

02/09/03

(सहायक अमियन्ता)



पर्यावरण

दूरभाष / Phone: 2510993  
फैक्स / Fax: 0512-2510999

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

१२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर - २०८ ०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas-Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

4657 2-4/06

दिनांक 17/5/04

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2)

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ।

विषय:-

में. स्खेलीन कामेकल प्रा० नि० प्रारंभिक  
कानपुर देहात की नवीनतम निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। उक्त के सम्बन्ध में मांगी गयी उद्योग की निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। दिनांक 13.5.2004 को कुम्भी में ACS उद्योग द्वारा बिना काल्पारि क्षेत्र में निर्यात किये हुए कुछ solid waste डम्प किया हुआ पाया गया।

सुवदीय

(प्रमोद मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
तद दिनांक

प०स०

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव महोदय को अवलोकनार्थ एवं सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

सुवदीय महोदय

18/5/04

18/5/04

18/5/04

सुवदीय महोदय

18/5/04

सुवदीय महोदय

18/5/04

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय

5243, सदभावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर- 208017

संदर्भ 2449/प्र०-7/05

दिनांक 19.9.05

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ

विषय: मेसर्स अमेलिया टेक्सटाइल्स केमिकल्स प्रा०लि०, 23 खानचन्द्रपुर, रनिया, कानपुर  
देहात को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी बन्दी  
आदेश को प्रभावी किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उक्त उद्योग के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 20.01.05 को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 49683/सी-2/एच/के-02/05 दिनांक 12.08.05 द्वारा आठ सप्ताह के लिए सर्शत निलम्बित किया गया था। उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.09.05 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण आख्या के अनुसार बन्दी आदेश के निलम्बन पत्र में निहित शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः उद्योग को जारी निलम्बन आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व में जारी बन्दी आदेश को प्रभावी करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

स.०.  
24/9/05

24/9/05

भवदीय


(एस०आर०सचान)  
क्षेत्रीय अधिकारी


मै0 अमेलिया टेक्सटाइल्स केमिकल्स प्रा0 लि0, 23 खानचन्द्रपुर, रनिया, कानपुर देहात की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या

उद्योग के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 49683/सी-2/एच/के-02/2005 दिनांक 12.08.05 द्वारा 8 सप्ताह के लिए सशर्त निलम्बित किया गया है। तत्कम में मै0 अमेलिया टेक्सटाइल्स केमिकल्स प्रा0 लि0, 23 खानचन्द्रपुर, रनिया, कानपुर देहात का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 19.09.2005 में किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया तथा श्री सन्तोष पाण्डेय (डायरेक्टर) उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। शर्तों की अनुपालन स्थित निम्नवत् है।

1. उद्योग द्वारा सहमति जल/सहमति वायु/प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया है।
2. उद्योग में प्रस्ताव के अनुरूप वायु प्रदूषण नियंत्रण संयन्त्र की स्थापना नहीं पायी गई है तथा उत्सर्जित गैसों की अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. ग्राम खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात में पूर्व में अवैध रूप से डाले गये परिसंकटमय अपशिष्टों को साफ कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रगति शून्य पायी गई है।
4. उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बैंक गारन्टी जमा के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। अतः बैंक गारन्टी जमा होने की पुष्टि मुख्यालय स्तर से अपेक्षित है।
5. निरीक्षण के समय परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु बनाये गये अस्थाई भण्डारण टैंक में वर्षा का जल भरा पाया गया है।
6. परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु बनाये गये अस्थाई भण्डारण टैंक को प्रयोग में नहीं लाया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर में परिसंकटमय अपशिष्ट खुले प्लेटफार्म पर भण्डारित पाया गया है। इस भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 46 मी0 टन आंकी गई है।

उपरोक्तानुसार बोर्ड के आदेश संख्या एफ 49683/सी-2/के-02/2005 दिनांक 12.08.05 का उल्लंघन है। अतः पूर्व निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 20.01.05 को प्रभावी करने तथा नियमानुसार बैंक गारन्टी जमा करने की संस्तुति विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
19/9/05  
(बी0के0 सिंह)  
अवर अभियन्ता

  
19.9.05  
(यू0सी0 वर्मा)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय

5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर- 208017

संदर्भ 1714/ए.ए.ए. - 304/06

2161

दिनांक 07/7/06

12-3-06

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभि० (वृत्त-2)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ

विषय: मेसर्स अमोलिहा टेक्सटाइल्स प्रा० लि०, रनियां, कानपुर-देहातकी  
निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के श्री यू०सी० वर्मा ,  
सहा०पर्या०अभि० , उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , कानपुर एवं श्री बी०के० सिंह , अवर अभियन्ता ,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , कानपुर द्वारा दिनांक 08.06.2006 को किया गया। निरीक्षण  
आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

sc  
13/7/06

AEE  
13/7

भवदीय  
कुलदीप मिश्र  
क्षेत्रीय अधिकारी

1 मर

TC  
13/7

मै0 अमेलिहा टेक्सटाइल्स प्रा0लि0, रनिया, तहसील-अकबरपुर, जनपद- कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या

उक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 09/08/06 में किया गया। निरीक्षण के समय श्री के0सी0 अग्रवाल, डायरेक्टर - मै0 हिल्जर कैम प्रा0लि0, श्री सुशील चौधरी - अधिकृत प्रतिनिधि - मै0 यूनिकेम इण्डिया प्रा0लि0, श्री अनिल खन्ना - डायरेक्टर - मै0 खन्ना विद्यके केमिकल्स प्रा0लि0, श्री संजय छाबडा - डायरेक्टर - कलीना केमिकल्स प्रा0लि0 तथा श्री संतोष पाण्डेय - डायरेक्टर मै0 अमेलिहा टेक्सटाइल्स प्रा0लि0 निरीक्षण के समय उपस्थित थे।

(1) उक्त उद्योग की बन्दी का आदेश बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 51342/सी-2/हैजा0/के-174/05 दिनांक 06/10/05 द्वारा जारी है। उक्त आदेश के अनुपालानार्थ उद्योग को दिनांक 10/11/05 में सील/बन्द किया गया था।

निरीक्षण के समय उद्योग में तीन ट्रकों को पाया गया है। इन ट्रकों का नम्बर क्रमशः यू0पी0 78 - ए0टी0 5418, ओ0आर0-02 एम0 9923 तथा यू0पी0 78 - ए0टी0 7298 नोट किया गया है। इन ट्रकों द्वारा उद्योग तक उड़ीसा से कोमाइट ओर को लाया गया है।

उद्योग परिसर में रॉ मेटेरियल (कोमेत ओर) की ग्राइडिंग लीचिंग एवं एसिडिफिकेशन का कार्य होता पाया गया है। बी0सी0एस0 उत्पादन हेतु कोमेत ओर व सोडा ऐश की मैनुअल मिक्सिंग तथा रोस्टिंग का कार्य उद्योग की सह इकाई मै0 आर0ए0 केमिकल्स (ग्लोबल कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज) 23 खानचन्द्रपुर में किया जाना पाया गया है।

मै0 आर0ए0 केमिकल्स (ग्लोबल कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज) 23 खानचन्द्रपुर, रनिया, कानपुर देहात तथा अमेलिहा टेक्सटाइल्स लि0 आपस में सटा हुआ उद्योग है तथा मै0 आर0ए0 केमिकल्स, 23 खानचन्द्रपुर, बारा रनिया, कानपुर देहात को इस कार्यालय के पत्र संख्या 177/एन0ओ0सी0-28/03 दिनांक 08/01/03 द्वारा सोडियम सल्फेट - 2.6 मी0 टन/दिन के उत्पादन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उद्योग द्वारा सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उक्त उद्योग में दो संख्या में रोस्टिंग फर्नेश तथा एक बेबी ब्यालर कार्यरत पाया गया तथा जिनका उपयोग उपरोक्तानुसार बेसिक कोम सल्फेट के उत्पादन हेतु किया जाता पाया गया है।

(2) खानचन्द्रपुर, रनिया में अवैध रूप से भण्डारित हैजार्डस वेस्ट की स्थित पूर्ववत पायी गई है तथा इसके सुरक्षित भण्डारण हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया जाना पाया गया है।

प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर मै0 आर0ए0 केमिकल्स (ग्लोबल कैमिकल्स) 23 खानचन्द्रपुर, बारा, रनिया, तहसील-अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात को तत्काल प्रभाव से बन्द कराने तथा मै0 अमेलिहा टेक्सटाइल्स प्रा0लि0, खानचन्द्रपुर, रनिया, तहसील-अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात को जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन करने के कारणों से उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(बी0के0सिंह)  
अवर अभि0

(यू0सी0वर्मा)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

M/S RA Chemicals (P) Ltd.

निरीक्षण हेतु  
श्री. प्रदीप अग्रवाल  
Kings

21/8/06

193/68

सो-2/हैजाई/02/2011

3-10/11

सेवा में,

पंजीकृत

श्री दिलीप अवरथी  
निदेशक, मै0 अमीलिया टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल (प्रा0 लि0),  
6/31 सी, पार्वती बंगलारोड,  
कानपुर।

विषय:- मै0 अमीलिया टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल (प्रा0 लि0), उमरन, रनिया, जनपद रमाबाईनगर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा हथालन) नियम, 1989 सहपठित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संलचन) नियम, 2008 के अनुपालन के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस।

।होदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि आप स्वयं भलीभाँति भिन्न हैं कि आपके उद्योग मै0 अमीलिया टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल (प्रा0 लि0), उमरन, रनिया, जनपद रमाबाईनगर द्वारा जनित बेसिक क्रोम सल्फेट हैजार्डस वेस्ट आराजी सं0 1418/3, खानचन्दपुर, रनिया, रमाबाईनगर में अवैध रूप से डाला गया है जिसके कारण उपरोक्त स्थल पर भू-गर्भ जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में पूर्व में आपके उक्त उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही भी की गयी थी।

यतः आपके उक्त उद्योग का बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किये गये अद्यतन निरीक्षण दि0 16.09.2011 के दौरान यह पाया गया कि उद्योग विगत कई वर्षों से बन्द है तथा संयंत्र भी क्रियाशील नहीं है।

यतः आपके उक्त उद्योग द्वारा संचालनरत्/उत्पादनरत् रहने के समय अवैध रूप से निस्तारित किये गये हैजार्डस वेस्ट का परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा हथालन) नियम, 1989 सहपठित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 के अनुपालन क्रम में टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से समुचित निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

यतः आपके द्वारा उपरोक्त कार्यवाही हैजार्डस वेस्ट निस्तारण के संबंध में अभी तक न ही कोई कार्यवाही की गयी एवं न ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

यतः आपके उपरोक्त कृत्य से आराजी सं0 1418/3 ग्राम-खानचन्दपुर जनपद रमाबाईनगर व इसके आस-पास के क्षेत्रों में भू-गर्भीय जल प्रदूषण की गंभीर समस्या व्याप्त हो गयी है जिसका आकलन भी आप द्वारा अभी तक नहीं कराया गया है।

क्रमशः ..... 2

(2)

यतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि आराजी सं० 1418/3 ग्राम खानचन्दपुर जनपद रमाबाईनगर पर आपके उद्योग से जनित हैजार्डस वेस्ट तत्काल उठवाकर सुरक्षित निस्तारण किया जाय अथवा राज्य बोर्ड द्वारा उक्त हैजार्डस वेस्ट को उठवाने एवं निस्तारण कराये जाने की दशा में उस पर आने वाले व्यय को आप द्वारा वहन किया जाय।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत दिम्न प्राविधान हैं :-

"Notwithstanding anything contained in any other law but subject to the provisions of this Act, the Central Government may, in the exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions.

Explanation - For the avoidance of doubts, it is hereby declared that the power to issue directions under this section includes the power to direct:-

(a) the closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process; or

(b) stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service."

अतः उपरोक्त संबंध में कृपया आप दिनांक 10.10.2011 तक कृत कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत आपके उद्योग से जनित किये गये उक्त परिसंकटमय अपशिष्ट के उठाने/निस्तारण में होने वाली व्यय धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति वैधानिक कार्यवाही करते हुये जिसमें आपके उद्योग की भूमि को अधिग्रहीत किया जाना आदि भी सम्मिलित है, की जा सकती है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं उद्योग के संचालन के प्रति उत्तरदायी समस्त व्यक्तियों का व आपके उद्योग मै० अमीलिया टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल (प्रा० लि०), उमरन, रनिया, जनपद रमाबाईनगर का होगा।

भवदीय

(डा० सी०एन० भट्ट)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, जनपद-रमाबाईनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री कीर्तिमान सिंह रायकवाड़, निदेशक मै० अमीलिया टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल (प्रा० लि०), उमरन, रनिया, जनपद रमाबाईनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वांछित कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाईनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही के संबंध में सतत अनुश्रवण यथासमय सुनिश्चित कर अवगत कराये।

सदस्य सचिव

4659/N.O.C./A-5/10

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

15/06/10

विषय- मै० अमलिहा टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स (प्रा०) लि०, खानचन्दपुर, पोस्ट ऑफिस- बारा, रनिया,  
तहसील- अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात के अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।) उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उद्योग जिसके संचालन से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट (कोम युक्त स्लज) उक्त का उपयुक्त उपचार एवं निस्तारण न किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 51342/सी-2/हैजार्डस/के-02/05 दिनांक 06-10-05 द्वारा बंदी आदेश निर्गत किया गया था। जिसके अनुपालन में उद्योग के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग में स्थापित भट्टियों को सील कर उत्पादन कार्य बोर्ड द्वारा अवरुद्ध कराया गया था। परन्तु उद्योग द्वारा उक्त का अनुपालन न कर उपरोक्त वर्णित उत्पादन से सम्बन्धित भट्टियों की सील को तोड़कर पुनः उत्पादन कार्य प्रारम्भ किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 25828/सी-2/सा०-323/2007 दिनांक 18-12-07 द्वारा पुनः बंदी आदेश निर्गत किया गया था जिसके अनुपालन में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30-01-08 को उद्योग में पूर्व में स्थापित उत्पादन से सम्बन्धित भट्टियों को पुनः सील कर उद्योग का संचालन अवरुद्ध कराया गया। जनपद कानपुर देहात में रनिया में स्थित एवं पूर्व में संचालित बी०सी०एस० इकाईयों के विरुद्ध परिसंकटमय अपशिष्ट नियम 1989 के सेक्शन 16(3) के अन्तर्गत जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। सुलभ सन्दर्भ हेतु सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक -1)। उद्योग का प्रस्तावित उत्पादन कार्य (सोडियम ड्राईकोमेट से बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन) उद्योग द्वारा पूर्व में किये जा रहे उत्पादन कार्य से सम्बन्धित है जिसमें उद्योग में पूर्व में स्थापित सील भट्टियों के संचालित किये जाने की सम्भावना थी।

अतः उक्त प्रकृति के प्रस्तावित उद्योग की स्थापना पूर्व स्थित उद्योग परिसर में किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या 2467/एन०ओ०सी०/ए-5/09 दिनांक 18-06-09 द्वारा अस्वीकृत किया गया था। सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)। उद्योग की पूर्व निरीक्षण आख्या दिनांक 15-06-09 एवं अद्यतन निरीक्षण आख्या दिनांक 15-06-10 की प्रतियाँ सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्नक-3 एवं 4)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

पृ०सं०

भवदीया,  
(शुभमती) शोभा चतुर्वेदी  
क्षेत्रीय अधिकारी  
तददिनांक 15/06/10

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 2- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (नोडल हैजार्डस) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(शुभमती) शोभा चतुर्वेदी  
क्षेत्रीय अधिकारी  
15/06/10  
१०. १५  
१५.६६

उद्योग मै0 अमलिहा टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स (प्रा0)लि0, खानचन्दपुर, पोस्ट ऑफिस- बारा, रनिया, तहसील- अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण आपके निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-06-2009 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री कीर्तिमान सिंह श्यायकवाड़, निदेशक उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन पूर्णतया अवरूद्ध था। निरीक्षण आख्या निम्न है।

- 1- उक्त उद्योग खानचन्दपुर, पोस्ट ऑफिस- बारा, रनिया, तहसील- अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात में स्थापित एवं पूर्व में संचालित था जिसमें कोमोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड एवं कोलतार पिच का प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हुए वेसिक कोम सल्फेट का प्रमुख उत्पाद के रूप में उत्पादन पूर्व में किया जाता था। उद्योग से उत्पन्न परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट कोमियम युक्त स्लज का उपयुक्त निस्तारण न किये जाने एवं अनियंत्रित रूप से उद्योग के समीप निस्तारित किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 51342/सी-2/हैजार्डस/के-02/05 दिनांक 06-10-05 द्वारा बंदी आदेश निर्गत किया गया था।
- 2- उद्योग द्वारा उक्त बंदी आदेश का अनुपालन न किये जाने तथा पूर्व में सील्ड की गयी उत्पादन से सम्बन्धित भट्टियों की सील्ड को तोड़कर पुनः उत्पादन किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 25828/सी-2/सा0-323/2007 दिनांक 18-12-07 द्वारा पुनः बंदी आदेश निर्गत किया गया था जिसके अनुपालन में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30-01-08 को उद्योग में पूर्व में स्थापित उत्पादन से सम्बन्धित भट्टियों को पुनः सील्ड कर उद्योग का संचालन अवरूद्ध कराया गया।
- 3- बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 47150/सी-2/हैजार्डस/440/09 दिनांक 01-04-09 द्वारा जनपद कानपुर देहात में रनिया में स्थित एवं पूर्व में संचालित बी0सी0एस0 इकाईयों के विरुद्ध परिसंकटमय अपशिष्ट नियम 1989 के सेक्शन 16(3) के अन्तर्गत जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था।
- 4- उद्योग द्वारा प्रस्तावित कार्य सोडियम डाइक्रोमेट का कनवर्जन कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन कार्य भी पूर्व में उद्योग द्वारा किये जा रहे उत्पादन कार्य से सम्बन्धित है जिसमें उद्योग में पूर्व में स्थित सील्ड भट्टियों की सील को तोड़कर चोरी छुपे संचालित करने की सम्भावना है। अतएवं उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के पूर्व स्थित उद्योग परिसर में नवीन प्रस्तावित सोडियम डाइक्रोमेट का कनवर्जन कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन कार्य के किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का इस कार्यालय द्वारा निर्गमन अथवा सम्बन्धित संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Mishra*  
(वी0के0 मिश्रा) 15-6-2009  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदया,

*Shatruvedi*  
R.O  
18/06/09

A C E

उद्योग में अग्रविहा टैक्सटाइल्स एन्ड कंजिक्टस (प्रा) लिमिटेड, खानचन्दपुर, पोस्ट ऑफिस- बारा, रनिया, तहसील- अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या-

माननीय मुख्यमंत्री सम्पर्क/महानगर संख्या सी०एच०-110/66- पर्यावरण-10-153(सार्वा०)/10 दिनांक 05-05-10 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 02-06-10 को प्राप्त हुआ, के सम्पर्क में उपरोक्त सम्बन्धित उद्योग का निरीक्षण आपके निर्देशानुसार अग्रहस्ताक्षरी दिनांक 15-06-2010 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र सिंह, चौकीदार उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन पूर्णतया अवरुद्ध था। निरीक्षण आख्या निम्न है।

- 1- उक्त उद्योग खानचन्दपुर, पोस्ट ऑफिस- बारा, रनिया, तहसील- अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात में स्थापित एवं पूर्व में संचालित था जिसमें कोमोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड एवं कोलतार विच का प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हुए बेसिक कोम सल्फेट का प्रमुख उत्पाद के रूप में उत्पादन पूर्व में किया जाता था। उद्योग से उत्पन्न परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट कोमिडम युक्त स्लज का उपयुक्त निस्तारण न किये जाने एवं अनियंत्रित रूप से उद्योग के समीप निस्तारित किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 51342/सी-2/हैजार्डस/के-02/05 दिनांक 06-10-05 द्वारा बंदी आदेश निर्गत किया गया था।
- 2- उद्योग द्वारा उक्त बंदी आदेश का अनुपालन न किये जाने तथा पूर्व में सील्ड की गयी उत्पादन से सम्बन्धित भट्टियों की सील्ड को तोड़कर पुनः संचालित किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 25828/सी-2/सा०-323/2007 दिनांक 18-12-07 द्वारा पुनः बंदी आदेश निर्गत किया गया था जिसके अनुपालन में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30-01-08 को उद्योग में पूर्व में स्थापित उत्पादन से सम्बन्धित भट्टियों को पुनः सील्ड कर उद्योग का संचालन अवरुद्ध कराया गया।
- 3- बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 47150/सी-2/हैजार्डस/440/09 दिनांक 01-04-09 द्वारा जनपद कानपुर देहात में रनिया में स्थित एवं पूर्व में संचालित बी०सी०एस० इकाईयों के विरुद्ध परिसंकटमय अपशिष्ट नियम 1989 के सेक्शन 16(3) के अन्तर्गत जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था।
- 4- उद्योग द्वारा प्रस्तावित कार्य सोडियम डाइकोमेट का कनवर्जन कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन कार्य भी पूर्व में उद्योग द्वारा किये जा रहे उत्पादन कार्य से सम्बन्धित है जिसमें उद्योग में पूर्व में स्थित सील्ड भट्टियों की सील को तोड़कर घोरी छुपे संचालित करने की सम्भावना है। अतएव उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के पूर्व स्थित उद्योग परिसर में नवीन प्रस्तावित सोडियम डाइकोमेट का कनवर्जन कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन कार्य के किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का इस कार्यालय द्वारा निर्गमन अथवा सम्बन्धित संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(प्रखर कुमार)  
अवर अधिकारी

(वी०के० मिश्रा)  
सहायपर्या०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

उद्योग मै0 अमलिहा टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स (प्रा0)लि0, खानचन्दपुर, पोस्ट ऑफिस- बारा, रनिया, तहसील- अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण आपके निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी दिनोंक 15-06-2009 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री कीर्तिमान सिंह श्याकवाड़, निदेशक उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन पूर्णतया अवरुद्ध था। निरीक्षण आख्या निम्न है।

- 1- उक्त उद्योग खानचन्दपुर, पोस्ट ऑफिस- बारा, रनिया, तहसील- अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात में स्थापित एवं पूर्व में संचालित था जिसमें क्रोमोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड एवं कोलतार पिच का प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हुए बेसिक क्रोम सल्फेट का प्रमुख उत्पाद के रूप में उत्पादन पूर्व में किया जाता था। उद्योग से उत्पन्न परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट क्रोमियम युक्त स्लज का उपयुक्त निस्तारण न किये जाने एवं अनियंत्रित रूप से उद्योग के समीप निस्तारित किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 51342/सी-2/हैजार्डस/के-02/05 दिनोंक 06-10-05 द्वारा बंदी आदेश निर्गत किया गया था।
- 2- उद्योग द्वारा उक्त बंदी आदेश का अनुपालन न किये जाने तथा पूर्व में सील्ड की गयी उत्पादन से सम्बन्धित भट्टियों की सील्ड को तोड़कर पुनः उत्पादन किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 25828/सी-2/सा0-323/2007 दिनोंक 18-12-07 द्वारा पुनः बंदी आदेश निर्गत किया गया था जिसके अनुपालन में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कार्यालय द्वारा दिनोंक 30-01-08 को उद्योग में पूर्व में स्थापित उत्पादन से सम्बन्धित भट्टियों को पुनः सील्ड कर उद्योग का संचालन अवरुद्ध कराया गया।
- 3- बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 47150/सी-2/हैजार्डस/440/09 दिनोंक 01-04-09 द्वारा जनपद कानपुर देहात में रनिया में स्थित एवं पूर्व में संचालित वी0सी0एस0 इकाईयों के विरुद्ध परिसंकटमय अपशिष्ट नियम 1989 के सेक्शन 16(3) के अन्तर्गत जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था।
- 4- उद्योग द्वारा प्रस्तावित कार्य सोडियम डाइक्रोमेट का कनवर्जन कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन कार्य भी पूर्व में उद्योग द्वारा किये जा रहे उत्पादन कार्य से सम्बन्धित है जिसमें उद्योग में पूर्व में स्थित सील्ड भट्टियों की सील को तोड़कर चोरी छुपे संचालित करने की सम्भावना है। अतएवं उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के पूर्व स्थित उद्योग परिसर में नवीन प्रस्तावित सोडियम डाइक्रोमेट का कनवर्जन कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन कार्य के किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का इस कार्यालय द्वारा निर्गमन अथवा सम्बन्धित संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Mishra*  
(वी0के0 मिश्रा) 15-6-2009  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

*Shaturvedi*  
R.O  
18/06/09

ACE

द्विजस केमि० प्र०लि० रनियां कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या ।

उक्त उद्योग का निरीक्षण श्री के०के०श्रीवास्तव सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं श्री नरेश कुमार वैज्ञानिक सहायक द्वारा दिनांक 25.6.96 को किया जिसका विवरण निम्नवत है ।

1. उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री एस०सी०अग्रवाल प्रबन्ध निदेशक उपस्थित थे ।
2. क्रोम अम्ल को घुना एवं सोडा ऐस के साथ मिलाकर रिवरबरेटरी फर्नेस में पकाया जाता है फिर जाली लगाकर पानी मिलाया जाता है पी०एच० संतुलित करने हेतु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है जाली के नीचे क्रोमेट विलयन निकलता है तथा गाद ऊपर रह जाती है क्रोमेट विलयन का वाष्पीकरण करके सोडियम डाइक्रोमेट का विलयन प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट वाई प्रोजेक्ट के रूप में अलग कर दिया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट का अपचयन करके एवं सुखाकर वेतिक क्रोम सल्फेट प्राप्त कर लेते हैं उद्योग की उत्पादन क्षमता 1000 टन प्रतिदिन है ।
3. निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य चल रहा था उद्योग द्वारा ई०टी०पी० लगाया है ई०टी०पी० के आउट लेट ड्रेनेज को रिस्ताइकिल टैंक में निकाला गया है उद्योग प्रतिनिधि ने बताया कि उद्योग के बाहर कोई भी उत्प्रवाह ~~का~~ नहीं जाता है ।
4. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा प्लास्टिक लाइनिंग के ऊपर गाद सुखाई जा रही थी उद्योग को यह निर्देशित किया गया कि उद्योग परिसर के सभी खाली स्थान में प्लास्टिक लाइनिंग करा ली जाय जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भावना ~~है~~ न रहे ।
4. उद्योग द्वारा लगभग 10 टन प्रतिमाह स्लज जनित किया जाता है जिसे ट्राली द्वारा बाहर लो लैंड एरिया में डाल दिया जाता है ।
5. उद्योग प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया है उद्योग परिसर एवं बाहर के भूमिगत जल एवं स्लज नमूनों की जांच आख्या एक माह के अन्दर मुख्यालय एवं कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

~~के०के०श्रीवास्तव~~  
(के०के०श्रीवास्तव)  
सहायक अभियन्ता

~~नरेश कुमार~~  
नरेश कुमार ।  
वैज्ञानिक सहायक

~~श्रीवास्तव~~

~~श्रीवास्तव~~



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३, सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर-१७ (पो. बॉ. १०७३)

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17 (Post Box-1073)

संदर्भ: 2072/H-1186

दिनांक: 2/9/86

सेवा में,

हेजार्डस चार्ज,  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

DIRY N.  
FILE  
FILE SL N.  
DATE: 10-2-76

विषय: परिसंक्रामक अपशिष्ट नियमावली १९८९ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के द्वारा मैं टिटरस केमिकल्स प्रा० लि. रनिया आसपुर कैंट

दिनांक 26-8-86 को निरीक्षण किया गया जिसको संलग्नकर सादर प्रेषित है। उद्योग द्वारा निम्न कार्यवाही अर्पित है।

1. उद्योग द्वारा प्राधिकार आवेदन कार्यालय में जमा ~~रही~~ किया गया है। जो कि मुख्यालय प्रेषित है।
2. उद्योग द्वारा स्लज वेस्ट का निस्तारण खुली जमीन/ उद्योग परिसर में काले सिमेंट डंप किया जाता है।
3. उद्योग द्वारा स्लज वेस्ट ~~कूड़ा~~ निकलता है।
4. उद्योग से प्राप्त निरीक्षण आख्य के अनुसार हेजार्डस वेस्ट डिस्पोजल हेतु संस्तुति ~~की~~ / नहीं जाती है। दिनांक 10-2-86 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

( आर० सी० चौधरी )  
क्षेत्रीय अधिकारी

Physical Nature of  
Hazardous Wastes

( Solid/Semi-Solid/ Slurry etc.)

Inspection Report of M/S. Hilgers Chemicals Ltd. Regarding Hazardous Wastes conducted on 26-8-81 Category No: III  
 in presence of Shri S. C. Agarwal (M.D.) who was present as Representative of Industry.

S.No.	Item	Details to be Reported
1.	Production Capacity	2.5 T/day or 100 T/year
2.	Category	(Small/Medium/Large) <u>B.C.</u>
3.	Nature (specify)	(Leather Tanning /Smelting & Refining/ Chemical/Fertilizer/Engineering/ Electroplating/ Pesticides/Dyes & Dye intermediate manufacturing/ Petroleum Refining/Paint Manufacturing/Iron & Steel.
4.	Raw Materials and other Consumables including Oil/Solvents/Spirits & Other Organics required	( Average Monthly ) Chromite ores, Soda Ash, Lime Sulphuric Acid, Molasses, Spent Acid
5.	(a) Main Products (b) By- Products	( Average Monthly ) 2.5 T/day or 30 T/month
6.	Brief Note on Manufacturing Process	( Attach Separate Sheet ) Chromite ores $\xrightarrow{\text{Grinding}}$ Mix with Soda lime $\xrightarrow{\text{slurry}}$ Roasting $\xrightarrow{\text{In Reverberatory Furnace}}$ Roast Material $\xrightarrow{\text{Leached in Filter tank}}$ Transferred into storage tank $\xrightarrow{\text{Mixing with Sulphuric Acid & Molasses}}$
7.	Details of Hazardous Wastes (a) Generated from process (including Storage & Handling Of Raw materials ) (b) From Effluent Treatment Plants (c) From Air Pollution Control Systems	Flake $\xrightarrow{\text{Dryer}}$ Liquor $\xrightarrow{\text{CB.C.S.}}$ Protones Sludge. Two Steels
8.	(a) Quantity of Hazardous Wastes (b) Physical Nature of Hazardous Wastes	(Average Monthly) 10 MT/month ( Solid/Semi-Solid/ Slurry etc.)

: 2 :

Not Available

- 9. (a) Analysis of Hazardous Wastes
- (b) Expected Constituents
- 10 Category of Hazardous Wastes
- 11 Details regarding Handling of Hazardous Wastes
- 12 Environmental Details

- ( If available ) Chromium
- ( As per Schedule ) IIIrd
- ( Details regarding Packaging/ Containers/ Trolley etc.

- (a) Location of site *Haripur*
- (b) Nearest Human settlement *3 km*
- (c) Population within 500 M radius
- (d) Population from 500 M to 2.0 K M
- (e) Whether Wells/ Handpumps installed near sites of storage/Dumping/ Disposal/site of waste *As per in Industry Premises*
- (f) Whether surface water sources exist near the site of waste *Yes*
- (g) Details of any civil/ Reserve forests/ Sanctuary exist/ within 2.0 K M radius *No*

- 13 Methods of Collection/ Reception/ Transport

(Give a brief note based on observations made at the site)

*Wastewaste of Polythene from start Industry Premises*

- 14 Details of Temporary Storage

(Specify Quantity and period if it is beyond 90 days)

*Storage in Industry Premises (in open land) (Polythene)*

Comment on the possibility of leakage and/ or leaching if any)

- 15 Details of Treatment of Hazardous Wastes (if any)

- (a) Neutralization
- (b) Solidification
- (c) Incineration
- (d) Landfilling
- (e) Sold (If yes then the address of purchaser and the purpose for which purchased)

- 16 Whether any leachate expected from waste (if yes)

- (a) Quantity
- (b) Expected characteristics
- (c) Treatment

*Leachate Liquid Reuse in processes*

17 If Hazardous Wastes is incinerated

- (a) Quantity
- (b) Height of stack
- (c) Details of firing etc.

MA

18 Remarks

(Based on Observations made during inspection. An assessment of waste management practices so as to clearly indicate the shortcomings and suggestions for modifications.)

① Sludge waste की उद्योग परिसर में इकट्ठा करते हैं। Waste को सुकरा कर पुनः Process में प्रयोग करते हैं। इससे उत्पन्न निम्न sludge को waste मानकर इन्हें open land में डाल देते हैं।

② उद्योग प्रतिनिधि की यह निवेदन किया कि Waste को Disposal हेतु ईत नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय जिससे Chromium भूगर्भीय जल में परतलेटा न करे।

③ ~~Sludge waste~~ को Disposal बोर्ड के विना अनुमति में open land में न डाला जाय।

*(Signature)*

SA-

C.S.

~~26/5/26~~

B.E.

मैसर्स 18000 क्रायमोला प्राबोला फर्तहडु (शोबानाई) रनिथ, कामपुर-देहात की निरीक्षण आख्या ।

36

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्तक्षरी द्वारा \_\_\_\_\_ अवर अभियन्ता के साथ दिनांक

07-4-2000 को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री डी. एन. गौड़ (D.N. Gaud) उपस्थित थे । आख्या निम्नवत् है ।

1. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
2. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्रोमयुक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
3. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थाई भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को न डाल कर उसे परिसर से बाहर एवं कालपी रोड के किनारे डाला पाया गया, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भावना है । इस हेतु उद्योग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा चुका है परन्तु उद्योग द्वारा वेस्ट को उद्योग परिसर में बने अस्थाई भण्डारण व्यवस्था में न डाल कर बाहर डाल दिया जाता है ।
4. उद्योग द्वारा वर्ष 2000 हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्रधिकार प्राप्त किया गया है/नहीं किया गया है ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक अभियन्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ।





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

देशीय कार्यालय:

५२४३ सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर-२०८०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

संदर्भ 1359/H-7/6/2000

दिनांक 21.7.2000

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (हैर्जा०)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ ।

3366

31-7-00

विषय:

मेसर्स हिजा केमिकल्, रौनिया, कानपुर-देहात के स्थल निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक जी०ओ० ६३२०/परि०/के-२७९/२००० का संदर्भ लेना चाहेंगे । उक्त के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचनाओं सहित उद्योग की विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा-५ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है साथ ही अन्य बेसिक क्रोम सल्फेट बनाने वाले उद्योगों की भी निरीक्षण आख्या संलग्न कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा-५ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित कृपया प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक: उपरोक्तमुस्र ।

भवदीय

(पारस नाथ)  
क्षेत्रीय अधिकारी

Handwritten signature and initials


निरीक्षण आख्या संलग्न कर  
आवेदन पत्र के साथ  
प्रस्तुत है  
2.8.2000  
2.8.2000

मेर्स हिल्जर केमिकल प्र० लि०, रनिया, कानपुर-देहात की निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवर अभियन्ता के साथ दिनांक २८.०६.२००० को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री एस०सी०अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित थे । आख्या निम्नवत् है ।

१. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
२. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्रोमयुक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
३. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थाई भण्डारण हेतु बनाये गये दो टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को डाला जा रहा है। निरीक्षण के समय एक टैंक भर गया है दूसरा भी भरने की स्थिति में है। प्रतिनिधि को अन्य अस्थाई भण्डारण टैंक बनाने हेतु भी निर्देश दिये गये । उद्योग प्रतिनिधि को यह भी निर्देश दिये गये है कि किसी भी स्थिति में वेस्ट को उद्योग परिसर से बाहर न डाला जाये । जैसा कि कुछ वेस्ट बाहर सड़क पर डाला पाया गया ।
४. उद्योग द्वारा वर्ष २००० हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
५. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है । दि. ८.७.२००० को ₹६७५००/- का ड्राफ्ट जमा किया गया है। आवेदन पत्र नहीं जमा किया गया है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक अभियन्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ।





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कीर्तीय कार्यालय:  
5243 सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर-208017  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :  
5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

संदर्भ \_\_\_\_\_

सेवा में,

5260 दिनांक 18-11-2000

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (हेल्थ्स)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

27/11/2000 अवरक्त

विषय

ग्रेस डिलजर केमिकल्स प्रो. लि., फतेहपुर, रोशनार्ह, रनिया, कानपुर-देहात के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हानिकारक) 1989 (संशोधन) - 2000 के अन्तर्गत विविध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओर, सोडाएश, सल्फ्यूरिक एसिड, सीरा का प्रयोग कर केमिकल प्रोडक्ट्स एवं सेडिमेंट सलफाइड का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित दोष युक्त हैजाइड्स स्लज लगभग 2.5 मैट्रन/दिन के स्टोरेज हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी भण्डारण हेतु फटके टैंक का निर्माण किया गया। उद्योग से जनित खतरनाक प्रकृति के स्लज को उद्योग परिसर में बने टैंक में भण्डारण नहीं किया जाता है। उक्त स्लज को उद्योग परिसर के बाहर आस-पास की जमीन एवं हाइवे के किनारे डाला जाता पाया गया (विस्तृत निरीक्षण आख्य संलग्न) उद्योग को संदर्भित अधिनियम के अनुपालन करने हेतु इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं (फटके की छाया प्रति संलग्न)। उद्योग द्वारा उक्त अधिनियमों का हमेशा उल्लंघन किया जाता रहा है। बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किये बिना ही उद्योग में उत्पादन प्रक्रियाएँ संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त संदर्भित उद्योग के विरुद्ध अपशिष्ट पदार्थ के हानिकारक डालने पर गम्भीर स्थानीय शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

उद्योग की निरीक्षण आख्य संलग्न करते हुये उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम परिसंशोधन नियमावली 1989 के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की सेक्शन-4 में बन्दी की

कार्यवाही करने की संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक: 1 - निरीक्षण आख्य

2 - उद्योग धरो प्रेषित फटके की छाया प्रति (1/1/1)

भवदीय

(पारस नाथ)

क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या: 72/आर.ओ. केम्प/हेजिस्ट्र-76/2000

प्रतिलिपि: सदस्य सचिव महोदय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


तथ्यदिनांक

क्षेत्रीय अधिकारी

उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण अधेहस्ताक्षरी द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, अत्रर अभियन्ता के साथ दिनांक १७.१०.२००० को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री एस०सी० अग्रवाल उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्नवत् तथ्य प्रकाश में आये :

१. उद्योग द्वारा क्रोममाइट ओर, सोडा एश, सल्फ्यूरिक एसिड, सीरा का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हुये बेसिक क्रोम. सल्फेट एवं सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में मुख्यतः लीचिंग प्रक्रिया एवं व्वायलर में किया जाता है।
३. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोक पिट में किया जाता है। प्रक्रिया से किसी प्रकार का उत्प्रवाह नहीं निकलता है।
४. उद्योग में कोल फायर्ड व्वायलर एवं रोस्टिंग फरनेश स्थापित किया गया है। ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित नहीं है। उत्सर्जन हेतु चिमनी बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित किया गया है। उत्सर्जन नमूना एकत्र करने हेतु मॉनिटरिंग प्लेटफार्म एवं पोर्ट होल स्थापित नहीं किया गया है।
५. उद्योग के उत्पादन प्रक्रियाओं से मुख्यतः क्रोमियमयुक्त स्लज निकलता है जो लगभग २.५ मै०टन/दिन है। उक्त को न्यूट्रलाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं स्थापित किया गया है। प्रक्रिया से जनित क्रोमियमयुक्त स्लज को स्टोरेज करने हेतु उद्योग परिसर के अन्दर अस्थायी भण्डारण की व्यवस्था की गयी है। स्लज को उद्योग परिसर में बने टैंक में नहीं जता पाया गया। उक्त स्लज को उद्योग परिसर के बाहर हाइवे के किनारे एवं आस-पास की भूमि पर डाला जाता पाया गया।
६. इस कार्यालय द्वारा हैजाईस सॉलिड वेस्ट को उद्योग परिसर में बने टैंक में डालने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं किन्तु उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों का हमेशा से उल्लंघन किया जा रहा है।
७. उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति जल एवं वायु तथा हैजाईस प्राधिकार प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग से उत्प्रवाह का निस्तारण, वायु उत्सर्जन एवं हैजाईस सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
अत्रर अभियन्ता

  
(यू०एन०उपाध्याय)  
सहा०पर्या०अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३ए सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर कानपुर - २०८ ०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ

V309 | V-2 | 03

दिनांक ५-९-०३

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अभियंता / वृत्त २।,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

11895

5-9-03

विषय : बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा हेजार्ड्स सालिड वेस्ट निस्तारण के सम्बन्ध में।  
नहोदय.

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० एफ 18400 /सी- 2/ सा० हेजार्ड्स- 171/ 2003दि० 17.07.03 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के संदर्भ में मै० हिल्जर केमिकल प्रा० लि० रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण इस कार्यालय के सहा० पर्यावरण अभियंता एवं अवर अभियंता द्वारा किया गया। उद्योग द्वारा बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले कोम युक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी भण्डारण हेतु पक्का टैंक बनाया गया है, परन्तु उद्योग द्वारा उक्त हेजार्ड्स वेस्ट को उक्त टैंक में न डालकर रोड साइड व आस पास के अन्य क्षेत्रों में डाला जा रहा है, जिस हेतु बोर्ड द्वारा कई बार निर्देश भी दिये जा चुके हैं, परन्तु उद्योग द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राज मार्ग द्वारा कालपी मार्ग को चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है, परन्तु रोड साइड पर वेस्ट का डाले जाने से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ग्राम कुम्भी अकबरपुर रनियां में हेजार्ड्स वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सामूहिक हेजार्ड्स वेस्ट स्थल पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्रतिक्रिया करें।

शुद्धीय  
आई० एन० त्यागी।  
क्षेत्रीय अधिकारी

/संजीव...

5/9/03

6/9

निम्न  
6/9

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अखेहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक ०१.०८.०३ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री राकेश अग्रवाल उपस्थित थे। आख्य निम्नवत् है:

१. उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओए, सोडा ऐश, क्रास्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन ५० टन प्रति माह किया जाता है।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उद्योग में न्यूट्रियल इजेशन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्रावह को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
३. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग ३० मी० है। उद्योग में व्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में १.० टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ २५ मी० ऊँची व्यवस्था स्थापित है स्टैक मॉनिटरिंग हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नहीं है।
४. उद्योग में क्रोमयुक्त परिसंकटयम ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी मण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
५. उद्योग परिसर में भी क्रोमयुक्त वेस्ट को कच्ची भूमि पर रखा जाता है तथा उद्योग द्वारा बोर्ड के आदेशों की अवहेलना कर वेस्ट का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर रोड साइड तथा आस-पास की भूमि पर डाला जा रहा है।
६. कानपुर-देहात कुम्भी में परिसंकटयम अपशिष्ट सामुहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आर्बेन्टिड की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

आख्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

*(अवर अभियन्ता)*  
29/03

*(सहा०पर्या० अभियन्ता)*  
29/03

क्षेत्रीय अधिकारी

*02/04/03*

रनियों, कानपुर देहात स्थित बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाले उद्योगों के निरीक्षण के संबंध में आख्या :

रनियों, कानपुर देहात स्थित बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाईयों मै० हिल्जर कैमिकल्स, मै० सेरुलियन कैमिकल्स, मै० चांदनी कैमिकल्स व मै० वारिस कैमिकल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी एवं श्री प्रमोद मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा डा० पी०सी०शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी के साथ दिनांक १२-८-०४ को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाये गये ।

उद्योगों द्वारा कोमाइट ओर, कोम ऐश, कास्टिक, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।

उद्योगों में कोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी भण्डारण हेतु उद्योग परिसर में ही एक पक्का टैंक बनाया गया है, जिसमें आंशिक रूप से परिसंकटमय वेस्ट पाया गया । उद्योगों द्वारा परिसंकटमय वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है । परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण सड़क के आसपास खुले स्थान पर किया जा रहा है जिससे भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने की प्रबल सम्भावना है ।

उक्त उद्योगों को पूर्व में एक माह की अवधि हेतु सशर्त प्राधिकार इस उद्देश्य से दिया गया था कि यह उद्योग अपने परिसंकटमय अपशिष्टों का निस्तारण कुम्भी, कानपुर देहात में "मै० कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति" द्वारा विकसित किए जा रहे परिसंकटमय अपशिष्ट स्थल पर करेंगे, परन्तु उक्त उद्योगों द्वारा वर्तमान में इस संबंध में कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है । कुम्भी, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थल का भी निरीक्षण किया गया । उक्त स्थल पर बिना कोई समुचित विकास कार्य किये परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किया गया है । एक स्थान पर भूमि पर पालीथीन बिछा कर परिसंकटमय ठोस अपशिष्टों का एकत्रण किया गया है परन्तु उक्त पालीथीन भी कई स्थलों पर फटा पाया गया, जिससे उक्त स्थान पर बरसात आदि होने से अधिकांश मात्रा में सर्फेस रन आफ / लीचेट आदि से भूगर्भीय जल के प्रदूषण होने की प्रबल सम्भावना है । उक्त परिस्थिति में उपरोक्त उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ के अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है ।

सदस्य सचिव

( पी० सी० शर्मा ) 13/8/04  
वैज्ञानिक अधिकारी

( के० के० शर्मा ) 13/8/2004  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-२)

मेसर्स डिल्लजत कांस्ट्रक्शन्स प्रा० लि० फ्लोटेड रोड नं० ११३ रनिया, वानपुर-देहात की निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा \_\_\_\_\_ अवर अमियन्ता के साथ दिनांक ०७-५-२००० को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री डी.एन. सिंह गुणवत्ता उपस्थित थे । आख्या निम्नवत् है ।

- १. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
- २. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्रोमयुक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
- ३. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थाई भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को न डाल कर उसे परिसर से बाहर एवं कालपी रोड के किनारे डाला पाया गया , जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भावना है । इस हेतु उद्योग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा चुका है परन्तु उद्योग द्वारा वेस्ट को उद्योग परिसर में बने अस्थाई भण्डारण व्यवस्था में न डाल कर बाहर डाल दिया जाता है ।
- ४. उद्योग द्वारा वर्ष २००० हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
- ५. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्रधिकार प्राप्त किया गया है/नहीं किया गया है ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

रवि  
21/4/2000  
(अवर अमियन्ता)

पुनम  
(सहायक अमियन्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ।

रवि

मै० हिल्जर कमिक्लस प्रा० लि०, ग्राम-चिरौरा पोस्ट-शमपुर रनिपां  
 तहसील - अकबरपुर, जनपद - कानपुर-देहात की निरीक्षण आरका-

उक्त उद्योग का निरीक्षण अधोदस्ताक्षरकर्तियों द्वारा दिनांक 9.6.06  
 में किया गया निरीक्षण के समय श्री के० सी० अग्रवाल - डायरेक्टर -  
 मै० हिल्जर कमिक्लस प्रा० लि०, श्री सुशील चौधरी - अधिकृत प्रहिति  
 मै० मुनिकैम इण्डिया प्रा० लि०, श्री अनिल खन्ना - डायरेक्टर - मै०  
 खन्ना विवेक कमिक्लस प्रा० लि०, श्री संजय दावड़ा - डायरेक्टर - मै०  
 मै० क्लीना कमिक्लस प्रा० लि० उपस्थित थे।

- (1) उक्त उद्योग बोर्ड मुख्यालय के आदेश संख्या F 51340/C-2/H93-  
 /K-59/05 दिनांक 06.10.05 के अनुपालन में बन्द पाया गया है।
- (2) उद्योग परिसर में सक्रिय हैजाडिस वेस्ट काफी कम मात्रा  
 में अस्थाई भंडारण टैंक में तथा कुछ भाग कचरी भूमि पर  
 शकत पाया गया है।

कचरी भूमि पर पड़े हुए हैजाडिस वेस्ट को  
 अस्थाई भंडारण टैंक में सक्रिय करके के निर्देश जारी किया जाता  
 उचित प्रतीत होता है। उद्योग बोर्ड आदेश के अनुपालन में बन्द  
 पाया गया। सूचनाय सादा प्रस्तुत।

(के.के.सिंह)  
 अवर अभियंता

(उमेश चन्द्र वर्मा)  
 सहायक पर्यावरण अभियंता

~~क्षेत्रीय अधिकारी~~

शिकायत नं० मु०-कॉ०/2005/2006

~~20/6/06~~

ग्राम : पर्यावरण  
Gram : Paryavarān

दूरभाष / Phone : 510999  
फैक्स / Fax : 0512-510999



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३ए सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर कानपुर - २०८ ०१७

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ

1308/ ९-५/०३

दिनांक

५.९.०३

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अभियंता । वृत्त २।,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय : बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा हेजार्डस सॉलिड वेस्ट निस्तारण के सम्बन्ध में।  
यहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० एफ 18400 /सी- 2/ सा० हेजार्डस- 171/ 2003दि० 17.07.03 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के संदर्भ में मे० सेस्लीन केमिकल्स प्रा० लि०, रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण इस कार्यालय के सह० पर्यावरण अभियंता एवं अवर अभियंता द्वारा किया गया। उद्योग द्वारा बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले कोम युक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी भण्डारण हेतु पक्का टैंक बनाया गया है, परन्तु उद्योग द्वारा उक्त हेजार्डस वेस्ट को उक्त टैंक में न डालकर रोड साइड व आस पास के अन्य क्षेत्रों में डाला जा रहा है, जिस हेतु बोर्ड द्वारा कई बार निर्देश भी दिये जा चुके हैं, परन्तु उद्योग द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राज मार्ग द्वारा कालपी मार्ग को चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है, परन्तु रोड साइड पर वेस्ट का डाले जाने से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ग्राम कुम्भी अकबरपुर रनियां में हेजार्डस वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सामूहिक हेजार्डस वेस्ट स्थल पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

/संजीव...

भयदीय  
जाई० एन० त्यागी।  
क्षेत्रीय अधिकारी  
१५/९/०३

मेसर्स सेरूलिन केमिकल प्रा० लि०, रनिया, कानपुर-देहात की निरीक्षण आख्य ।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक २१.०८.०३ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री डी०सी०टिवेदी, मैनेजर उपस्थित थे। आख्य निम्नवत् है

१. उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओए, सोडा ऐश, कास्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन १५० टन प्रति माह किया जाता है।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उद्योग में न्यूट्रियल इजेशन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्रावह को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
३. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग ३० मी० है। उद्योग में व्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ २५ मी० ऊँची व्यवस्था स्थापित है स्टैक मॉनिटरिंग हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नहीं है।
४. उद्योग में क्रोमयुक्त परिसंकटयम ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी मण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
५. उद्योग परिसर में भी क्रोमयुक्त वेस्ट को कच्ची भूमि पर रखा जाता है तथा उद्योग द्वारा बोर्ड के आदेशों की अवहेलना कर वेस्ट का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर रोड साइड तथा आस-पास की भूमि पर डाला जा रहा है।
६. कानपुर-देहात कुम्भी में परिसंकटयम अपशिष्ट सामुहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

आख्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

क्षेत्रीय अधिकारी

(अवर अभियन्ता)

(सहायक अभियन्ता)

02/09/03

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय

5243, सदमावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर- 208017

संदर्भ 2478/C-4/05

दिनांक 29/9/05

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ


विषय: मै० सेरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०, रनिया, कानपुर देहात को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 20.01.05 द्वारा बन्दी आदेश जारी किए गये थे। बन्दी आदेश के अनुपालन में उद्योग को बोर्ड द्वारा प्रशासन के सहयोग से दिनांक 07.02.05 को सील/बन्द कर दिया गया था। उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.08.05 (संलग्न है) द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में उल्लेखित कमियों को पूरा करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है। उद्योग द्वारा दी गई सूचनाओं/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सत्यापन हेतु उद्योग का निरीक्षण दिनांक 12.09.05 को श्री यू०सी० वर्मा, सहा०पर्या०अभि० एवं श्री बी०के० सिंह, अवर अभि० द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। निरीक्षण आख्या के अनुसार उद्योग में स्थापित ब्यालर में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र साइक्लान डस्ट कलेक्टर स्थापित कर लि. गया है तथा फर्नेश पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साइक्लान डस्ट कलेक्टर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उद्योग में अस्थायी व्यवस्था की गई है। जिसका भण्डारण क्षमता तीन माह के लिए है। उद्योग ग्राम कुम्भी के सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था का सदस्य है। अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा हैजार्डस वेस्ट के प्रबन्धन के सम्बन्ध में निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.02.05 दी गई है। उद्योग परिसर के बाहर ग्राम-खानचन्दरपुर में अवैध रूप से डाले गये अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः उद्योग का बन्दी आदेश निलम्बित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

भवदीय

  
(एस०आर०सचान)  
क्षेत्रीय अधिकारी



मेसर्स सीरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०, रनिया, कानपुर देहात की निरीक्षण करवा

उपरोक्त उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 200105 द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किए गये थे। जिसके अनुपालन में उद्योग को दिनांक 070205 को सील/बन्द कर दिया गया था। उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 310605 द्वारा भूमिका लिया गया है कि उद्योग द्वारा बन्दी आदेश में उल्लिखित कमियों को पूरा कर लिया है तथा उद्योग को चलाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उद्योग का अग्रोहस्त परीक्षण दिनांक 120905 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री दिलीप अवस्थी, डायरेक्टर उद्योग प्रतिष्ठानों के नाम में कार्यरत को निरस्त आख्या निम्नवत् है।

1. उद्योग को सील किए गये सभी बिन्दु सील पाए गये तथा उत्पादन होना नहीं पाया गया।
2. उद्योग द्वारा कोमाइट जबरक, सोडा ऐश, वास्टिक, सल्फ्यूरिक एसिड तथा मोनोमेथिलेन का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर के थिक कोम सल्फेट का उत्पादन 05 मी० टन/दिन है।
3. उद्योग में कच्चे माल को स्टोरेज करने हेतु 2 टन/दिन क्षमता प्रत्येक की 03 मटिठिया स्थापित है, इनमें कोयले का लगभग 2 टन/प्रति मटिठी/दिन प्रयोग होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फर्नेश तथा चिमनी के माध्यम से एक संयंत्र साइक्लान डस्ट कलेक्टर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ए०पी०सी०एस० की डिजाइन उद्योग के पत्र दिनांक 310605 के साथ प्रस्तुत की गई है। तीनो मटिठियों से दो चिमनी सम्बद्ध है, जिसकी ऊँचाई धरातल से लगभग 100 फिट है। चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल एवं प्लेटफार्म स्थापित है।
4. उद्योग में 1 ब्यायलर स्थापित है। ब्यायलर में राइस हस्क का प्रयोग ईंधन के रूप में लगभग 5 टन/दिन होता है। ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई धरातल से लगभग 25 मी० है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साइक्लान डस्ट कलेक्टर स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल व प्लेटफार्म स्थापित है।
5. उद्योग में जल का प्रयोग धरेलू/औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है। रिपलेज से जनित उत्प्रवाह को प्रक्रिया में रिसाइकिल किया जाता है। इसके लिए पक्का पिट बना है। औद्योगिक बहिष्साव बाहर निस्तारित नहीं किया जाता है। धरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाता है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा एक मटिठी के संचालन से जनित मात्रा लगभग 10 टन/दिन होती है। इसके अस्थायी भण्डारण हेतु उद्योग परिसर में (40 फिट x 30 फिट x 6 फिट) साइज के सीमेन्ट कांकीट के दो पिट हैं। इसकी कुल भण्डारण क्षमता 20471 घनमीटर है।
7. मी० कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा उद्योग से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अतत निस्तारण ग्राम कुम्भी में सामूहिक व्यवस्था में किया जाना प्रस्तावित है। यह उद्योग इस समिति का सदस्य है। अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा हैजार्डस वेस्ट के प्रबन्धन के सम्बन्ध में निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 220205 को दी गई है।

उद्योग की वर्तमान में अवस्थी क्षमता लगभग 23542 मी० टन है। जिसके अनुसार अवस्थी भण्डारण क्षमता तीन माह के लिए पर्याप्त है, परन्तु कुम्भी में अस्थायी भण्डारण के पूर्ण होने तक उद्योग पहले से बड़े हुए कचरे का निस्तारण करने के परवत् ही प्राधिकार हेतु दिवार किया जाना उचित होगा।

  
 (1000/100)  
 डायरेक्टर

  
 (1000/100)  
 डायरेक्टर

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय




मेसर्स सेरुलीन कैमिकल्स प्रा० लि०, रनियां कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या।


863

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 10.09.2004 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री दिलीप कुमार अवस्थी (निदेशक) उपस्थित थे। आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग द्वारा कोमाइट ओए, सोडा ऐश कास्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन 150 मी/टन प्रतिमाह किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। उद्योग से धुलाई/स्पिलेज आदि से जनित उत्प्रवाह को न्यूटलाइज करके सैटलिंग टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग किये जाने की व्यवस्था है।
3. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित 3 भट्टियों में ईंधन के रूप में 5.0 टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्टियों से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मी० है किन्तु कोई अन्य वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना नहीं किया गया है एवं न ही चिमनी की मानिटरिंग करने हेतु पोर्ट होल एवं प्लेटफार्म की व्यवस्था स्थापित है। उद्योग में 2.0 टी०पी०एच० का ब्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में 5.0 टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ 25 मी० ऊंची व्यवस्था स्थापित है स्टैक मानिटरिंग हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नहीं है।
4. उद्योग में सूचित उत्पादन क्षमता के अनुसार कोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट लगभग 5.0 टन/दिन जनित होता है जिसके अस्थाई भण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट भरा पाया गया। उद्योग द्वारा जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण आस-पास के क्षेत्रों एवं उद्योग के सामने पड़ी खाली पड़ी जमीन पर डाला जाता रहा है किन्तु वर्तमान में अपशिष्ट को कुम्भी स्थित कामन फेंसिलिटि सेन्टर पर निस्तारित करना सूचित किया गया है कुम्भी स्थल का विकास जमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुरूप नहीं किया जा सका है तथा कच्चे गड्डे में अपशिष्ट डाला गया है। यद्यपि कहीं-2 पालीथीन की सीट डालकर अपशिष्ट डाला गया है तथा आवंटित भूमि के चारों ओर फेन्सिंग के खम्भे हेतु फाउन्डेसन का कार्य किया गया है जिसमें लोहे के एंगिल का लगभग 10 इन्च लम्बा टुकड़ा जमा हुआ है। उक्त स्थल का विकास कार्य कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष के अनुसार फेन्सिंग हेतु चारों तरफ एक एंगिल पोस्ट लगवाये गये थे किन्तु चोरो द्वारा सभी एंगिल फाउन्डेसन से काट लिया गया है। उद्योग को वर्तमान में परिसंकटमय नियम 1989 यथा संशोधित नियम 2003 के अर्न्तगत प्राधिकार प्राप्त नहीं है।  
उपरोक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु सादर

प्रस्तुत।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक पर्या० अभियन्ता)

(क्षेत्रीय अधिकारी)



तार : पर्यावरण  
Gram : Paryavaran

दूरभाष : 72525, 74773, 72455  
Phone

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'प्रगति केन्द्र,' द्वितीय तल, कपूरथला कॉम्प्लेक्स  
अलीगंज, लखनऊ-२२६०२०



## Uttar Pradesh Pollution Control Board

'Pragati Kendra' 2nd Floor, Kapoorthala Complex,  
Aliganj, Lucknow-226020

संदर्भ सं. 189/92/04  
Ref. No.

दिनांक 26 SEP 1992  
Dated

सेवा में,

श्री. सेरुलीन केमिकल्स (प्रा.) लि.  
रौनिया  
कानपुर (देहात)

**विषय:** परितंत्रित रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात  
नियम 1989 [27.11.89] के अर्न्तगत व्यापक दुरुधटना  
स्थलों एवं सुरक्षा आंकड़े सीट में सूचनार्थ प्रेषित करने के संबंध में।

**महोदय,**

आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा जारी राज्यत्र  
में "परितंत्रित रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम  
1989 जो 27 नवम्बर 1989 को अधिसूचित हो चुके हैं, के अर्न्तगत आपसे यह  
अपेक्षित है कि:-

1. इस अधिसूचना के नियम 5 के अर्न्तगत कितनी व्यापक दुरुधटना की  
सूचना बोर्ड को अनुसूची 6 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. इस अधिसूचना के नियम-7 के अर्न्तगत स्थलों की सूचना अनुसूची  
7 के आधार पर बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. इस अधिसूचना के नियम 10 के अर्न्तगत सुरक्षा रिपोर्ट के संबंध  
में तमस्त सूचनार्थ अनुसूची-9 में भरकर बोर्ड को 15 दिन में उपलब्ध  
कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण  
अधिनियम 1986 के अर्न्तगत कार्यवाही की जासगी जिसकी  
जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय,

श्री. योगेश शर्मा  
पर्यावरण अधिकारी

5/28/10  
No

पृष्ठ सं.

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनाार्थ प्रेषित।  
पर्यावरण 24/9/92



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

सी-२५, सर्वोदय नगर, कानपुर-२०८ ००५  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
REGIONAL OFFICE;  
C-25, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208 005

संदर्भ सं.

Ref. No.....

1156/C-70/92

दिनांक

Date.....

29/5/92

.....199...

To,

M/s Cerulean Chemicals Ltd.  
25-26, Khauchaudpur,  
Rania, Kanpur Dehat.

SUB: COMPLIANCE OF MANDATORY PROVISIONS OF WATER AIR & ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986 PARTICULARLY HAZARDOUS WASTE RULES

REF: 100/C-70/92, dated 29/1/92

Sir,

You are manufacturing Basic Chrome Sulfate which is a highly reactive material. Chromium is a highly toxic material and is injurious to environment in general and human health in particular. You do not have adequate arrangement for its safe handling, manufacture storage as well as related pollution Control. Your attention is drawn to following points for immediate action

1. The directions issued vide Board's letters dated 23/7/90 have still not been complied.
2. All raw materials particularly chromium bearing materials must be stored in such a manner that no contamination of soil air or water environment takes place.
3. Cooling water condensates if any should not be allowed to mix up with process materials and wastes.
4. All liquid effluents due to spillages floor wash process waste must be collected through leak proof conveyance system in a collection chamber of adequate capacity.
5. Such liquid effluents must be treated with suitable chemicals so that effluent conforms to prescribed standards. Time bound programme for installation of such E.T.P. must be sent in fifteen days from issue of this letter.
6. Process emissions due to basification of chrome sulfate must be treated in a suitable designed scrubber so that ambient air quality is not affected. Flue gas emissions if any shall be controlled by installation of suitable pollution control devices so as to conform to prescribed standards of emission.
7. Entire process area shall have acid proof tiles on the floor. The floor of process house should be completely covered with either tiles or acid proof cement plaster. Adequate attention should be paid to good house keeping and process management. Safe handling of raw materials product by products etc shall be under taken.
8. Solid waste from process obtaining chrome liquor should be collected in acid proof tanks and clear supernatant may be used as a primary liquor.

Sufficient tanks should be installed to remove maximum traces of chromium. Solid waste should be completely dried on sludge drying beds and packed and sealed in leak proof bags. These sealed bags must be stored in such a manner that no contamination of Air water or soil takes place. The disposal site must be informed to the Board.

Enclosed proform shall be filled and submitted along consent seeking application, if not submitted already. You should also ensure necessary compliance of Water Air and Environment protection Act and send compliance report.

Yours faithfully

( VED PRKASH )  
REGIONAL OFFICER  
Dated as above.

Encl. No.

Copy to.

1. Sri Keshav Kishore, E.E. U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.
2. Sri Sushel Kumar, T. O., U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.

REGIONAL OFFICER

/K.K./

100/C-70/92

29/1/92

सेवा में,

श्री प्रदीप प्रिन्टिंग प्रिन्टर्स  
25-26, धामधामपुर,  
दिल्ली कांसुर, देहली।

ध्यानाकर्ष:- श्री प्रदीप प्रिन्टिंग प्रिन्टर्स

विषय:- उद्योग के पंजीकृत नाम के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

दुर्भाग्यवश यह है कि आपके उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय में ही किया हुआ था, तत्पश्चात् पर्यावरण अधिनियम द्वारा दिनांक 18/12/71 को किया गया। निरीक्षण के पत्र में बताया गया कि आपके द्वारा उद्योग के पंजीकृत नाम तस्वीर के मुद्रण के लिए प्रिन्टिंग प्रिन्टर्स की व्यवस्था नहीं की गई है तथा इसे कोपिले किये बिना कालवरी रॉड के दोनों ओर एक नाम देखा जा रहा है। विस्तृत सूचना के प्रदुषित होने की सम्भावना है। इस प्रकार आपके द्वारा पत्र: प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आपको जोर द्वारा अनधिकृत प्रचार का इस अर्थ पर किया गया था कि आप प्रिन्टिंग प्रिन्टर्स को कोपिले करने के उपरान्त ही निस्तारित करेंगे।

आतः आपको निर्दिष्ट दिने जाते हैं कि आप इस दिशा में व्यवस्थित प्रचार केरु प्रस्तावित मुद्रण के लिए का निर्माण कर लें और उद्योग के पंजीकृत नाम तस्वीर को मुद्रण के उपरान्त ही निस्तारित करें तथा न किचे जाने की दशा में उद्योग के विना ही जाने वाली विधिक कार्यवाही की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी जिसके अन्तर्गत उद्योग का संरक्षण बन्द किया जा सकता है।

इसका ध्यान है कि उक्त उद्योग का सर्व वायु अधिनियम के प्रावधानों का निस्तार उल्लंघन किया जा रहा है तथा हैबार्ड साहित्य केतु का भी निस्तारण अनुमति प्राप्त कर नहीं किया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अन्तर्गत उल्लंघन है। <sup>संश्लेषण</sup> कार्यवाही तुरन्त की जाय।

महोदय

श्री प्रदीप प्रिन्टिंग प्रिन्टर्स  
धामधामपुर  
दिल्ली

पुनः  
प्रतिनिधि: निम्न लिखित की तुरन्त सर्व आकाश कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री प्रदीप प्रिन्टिंग प्रिन्टर्स

मेसर्स सेरुलान केमिकल प्रा. लि. अमरनगर  
निरीक्षण आख्या ।


रनियाँ, कानपुर-देहात की


45

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा \_\_\_\_\_ अवर अभियन्ता के साथ दिनांक 07-4-2000 को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री आर. एस. शंकर अडायरेक्टर उपस्थित थे । आख्या निम्नवत् है ।


1. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
2. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्रोमयुक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
3. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थाई भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को न डाल कर उसे परिसर से बाहर एवं कालपी रोड के किनारे डाला पाया गया, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भावना है । इस हेतु उद्योग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा चुका है परन्तु उद्योग द्वारा वेस्ट को उद्योग परिसर में बने अस्थाई भण्डारण व्यवस्था में न डाल कर बाहर डाल दिया जाता है ।
4. उद्योग द्वारा वर्ष 2000 हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्राधिकार प्राप्त किया गया है/नहीं किया गया है ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक अभियन्ता)

~~क्षेत्रीय अभियन्ता महोदय ।~~



मे र्सि सेरुलीन केमिकल्स प्रा० लि० रनियां कानुपर देहात की निरीक्षण आख्या ।

उक्त उद्योग का निरीक्षण श्री के०के०श्रीवार्तव , सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं श्री नरेश कुमार वैज्ञानिक सहायक द्वारा दिनांक 26.6.96 को किया गया जिसका विवरण निम्नवत है ।

1. उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री ए०एन०तिवारी प्रबन्ध निदेश उपस्थित थे।
2. क्रोम ~~को~~ सोड शेष एवं चूना के साथ मिलाकर रिवरबरेटरी फरनेस में पकाया जाता है । फिर टैंक में जली लगाकर पानी मिलाया जाता है। पी०एच० संतुलित करने हेतु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है जली के नीचे क्रोमेट विलयन निकलता है तथा गाद उपर रह जाती है जिसमें क्रोमियम की मात्रा रहती है क्रोमेट विलयन का वाष्पीकरण करके सोडियम डाइक्रोमेट का लियन न प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट बाई प्रोडक्ट के रूप में अलग कर दिया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट अपचयन करके एवं सुखाकर वैसिक क्रोम सल्फेट प्राप्त कर लेते है उद्योग की उत्पादन क्षमता 100 टन प्रतिदिन है ।
3. निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य चल रहा था तथा गाद को सुखाकर पुनः प्रोसेस में प्रयोग करते है । उद्योग में प्रतिनिधि ने बताया कि जहां पर गाद को सुखाते है उस स्थान पर प्लास्टिक की लाइनिंग के साथ उपर से ईंटें लगा दिये है । ई०टी०पी०के पास जो गाद पड़ी थी वहां पर लाइनिंग की व्यवस्था नहीं की गई है इस सम्बन्ध में उद्योग प्रतिनिधि को सभी खाली स्थान पर लाइनिंग के लिए निर्देशित कर दिया गया है ।
4. बिना प्रयोग वाली गाद को उद्योग के पीछे गांव की जमीन पर डाला जा रहा है । गाद प्रतिदिन लगभग 2 1/2 टन निकलती है । के उपसन्त बाहर डाला जाता है ।
5. उद्योग प्रतिनिधि को उद्योग परिसर के अन्दर एवं बाहर के भूमिगत पानी एवं क्रोमियम की मात्रा जांच कराने के संबंध में निर्देशित किया गया है एवं आख्या एक माह में कार्यालय एवं मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

~~के०के०श्रीवार्तव~~  
(के०के०श्रीवार्तव)  
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

~~नरेश कुमार~~  
नरेश कुमार ।  
वैज्ञानिक सहायक

~~के०के०श्रीवार्तव~~  
~~सहायक पर्यावरण अभियन्ता~~

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर-१७ (पो० ना०-१०७३)

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17 (Post Box-1073)

संदर्भ सेवा में

दिनांक 24/4/96

अनुसमारक-प्रथम

मेसर्स सेरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०  
25-26 शानचन्द्रपुर, रनियां  
कानपुर देहात ।

क्रियः- उद्योग में जनित क्रोम वाद को भूमि पर बिना शुद्धीकरण के डालने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 249/एच-1/96 दिनांक 26.02.96 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि उद्योग द्वारा जनित क्रोम वाद को पूर्ण शुद्धीकरण करके एवं बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त के उपरान्त ही उपरोक्त लाइनिंग की भूमि पर डालें । किन्तु उक्त सन्दर्भ में आप द्वारा अभी तक न प्रति तो कोई कार्यवाही की है और न ही कोई सूचना ही है ।

अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अन्दर समुचित कार्यवाही कर अवगत करायें । ऐसा न करने की द्वां में उद्योग के विरुद्ध करने वाली विधिक कार्यवाही की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी । जिसके अर्न्तगत उद्योग का संचालन बन्द किया जा सकता है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत करा दिया जायेगा ।

भवदीय

। आर०ती०या०परी।  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उक्त दिनांक

पृ०सं० 663/H-1/96  
प्रतिलिपि:

मुख्य पर्यावरण (हेजार्ड) वृत्त-6 उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचना एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

22.7.2000

क्षेत्रीय कार्यालय:  
5243 सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर-208017  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
REGIONAL OFFICE:

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

1386/14-46/2000

21.7.2000

दिनांक

3368

31-7-2000

सिद्ध

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (हैर्जो)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ ।

विषय:

मेसर्स <sup>ग्रामल</sup> सेरली केमिकल, रनिया, कानपुर-देहत के स्थल निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक जी०ओ०. ६३२०/परि०/के-२७९/२००० का संदर्भ लेना चाहेंगे । उक्त के सम्बन्ध में माँगी गयी सूचनाओं सहित उद्योग की विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा-५ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है साथ ही अन्य बेसिक क्रोम सल्फेट बनाने वाले उद्योगों की भी निरीक्षण आख्या संलग्न कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा-५ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित कृपया प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

*leall*  
(पारस नाथ)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*AC*  
हो आदेश का ने माध्य  
पुनः जांच के लिए  
रू उद्योग  
22.7.2000


*20/7/2000*  
20/7/2000

मेसर्स सेरूल्टीन केमिकल प्र० लि०, उमरन, रनिथ, कानपुर-देहात की निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अश्वेहस्ताक्षरी द्वारा अवर अभियन्ता के साथ दिनांक २८.०६.२००० को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री अखिलेश चन्द्र तीयेदी उपस्थित थे । आख्या निम्नवत् है ।

१. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
२. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्रोम युक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थायी भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
३. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थायी भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को न डाल कर उसे परिसर से बाहर एवं कालपी रोड के किनारे डाला पाया गया, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भावना है । इस हेतु उद्योग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा चुका है परन्तु उद्योग द्वारा वेस्ट को उद्योग परिसर में बने अस्थायी भण्डारण व्यवस्था में न डाल कर बाहर डाल दिया जाता है । निरीक्षण के समय अस्थायी भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में आंशिक वेस्ट डाला पाया गया ।
४. उद्योग द्वारा वर्ष २००० हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
५. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्राधिकार प्राप्त किया गया है/ नहीं किया गया है ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहोपयोगी अभियन्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ;





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

देशीय कार्यालय:  
५२४३ सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर-२०८०१७  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

23/11

संदर्भ

दिनांक 18-11-2000

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (हेल्थर्स)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ ।

5252  
27/11/00  
अवरणक

विषय

गोसई सेक्टर में डेमिकल्स प्रा० लि०, भारतपुं रोड, रमिया, कानपुर-देहात को विस्तृत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत अपशिष्ट (प्रदूषण एवं हानिकारक) १९८९ (संशोधन) - २००० के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग द्वारा ड्रेमाइट ओर, सोडाएश, सल्फ्यूरिक एसिड, सींग जल प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट एवं सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है । उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित क्रोम युक्त ड्रेमाइट स्लज लगभग २.५ मे०टन/दिन के स्टोरेज हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी भण्डारण हेतु पक्के टैंक का निर्माण किया गया । उद्योग से जनित खतरनाक प्रकृति के स्लज को उद्योग परिसर में बने टैंक में भण्डारण नहीं किया जाता है । उक्त स्लज को उद्योग परिसर के बाहर आस-पास की जमीन एवं झाड़ों के किनारे उतारा जाता पाया गया (विस्तृत निरीक्षण आख्य संलग्न) उद्योग को संदर्भित अधिनियम के अनुपालन करने हेतु इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं (पत्रों की छाया प्रति संलग्न) । उद्योग द्वारा उक्त अधिनियमों का हमेशा उल्लंघन किया जाता रहा है । बोर्ड से प्रतिक्रिया प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग में उत्पादन प्रक्रियाएँ संचालित किये जा रहा है । उपरोक्त संदर्भित उद्योग के विस्तृत अपशिष्ट पदार्थ के इकट्ठाकरण डालने पर गम्भीर स्थानीय शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

1/3/01  
20/11/00

उद्योग की निरीक्षण आख्य संलग्न करते हुये उद्योग के विस्तृत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अधिनियम परिसंशोधन नियमावली १९८९ के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ की सेक्शन-५ में बन्दी की कार्यवाही करने की संस्तुति सहित अधिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्नक नं० - २ निरीक्षण आख्य

-२, उद्योग को प्रेषित पत्रों की छाया प्रति

भवदीय

(पारस नाथ)

क्षेत्रीय अधिकारी

प०सं० ७१/आर.ओ. कैम्प/हेल्थर्स-४६/२०००

तदुदिनांक

प्रतिलिपि सदस्य राक्षिव महोदय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु साक्षर प्रेषित ।

क्षेत्रीय अधिकारी


उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण अधेहस्ताक्षरी द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, अत्र अभियन्ता के साथ दिनांक १७.१०.२००० को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री जय भान सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्नवत् तथ्य प्रकाश में आये :

१. उद्योग द्वारा क्रोममाइट ओर, सोडा एश, सल्फ्यूरिक एसिड, सीरा का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हुये बेसिक क्रोम सल्फेट एवं सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में मुख्यतः लीचिंग प्रक्रिया एवं ब्वायलर में किया जाता है।
३. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोक पिट में किया जाता है। प्रक्रिया से किसी प्रकार का उत्प्रवाह नहीं निकलता है।
४. उद्योग में कोल फायर्ड ब्वायलर एवं रोस्टिंग फरनेश स्थापित किया गया है। ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित नहीं है। उत्सर्जन हेतु चिमनी बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित किया गया है। उत्सर्जन नमूना एकत्र करने हेतु मॉनिटरिंग प्लेटफार्म एवं पोर्ट होल स्थापित नहीं किया गया है।
५. उद्योग के उत्पादन प्रक्रियाओं से मुख्यतः क्रोमियमयुक्त स्लज निकलता है जो लगभग २.५ मैटन/दिन है। उक्त को न्यूट्रलाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं स्थापित किया गया है। प्रक्रिया से जनित क्रोमियुक्त स्लज को स्टोरेज करने हेतु उद्योग परिसर के अन्दर अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था की गयी है। स्लज को उद्योग परिसर में बने टैंक में नहीं जाता पाया गया। उक्त स्लज को उद्योग परिसर के बाहर हाइवे के किनारे एवं आस-पास की भूमि पर डाला जाता पाया गया।

इस कार्यालय द्वारा हैजाईस सॉलिड वेस्ट को उद्योग परिसर में बने टैंक में डालने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं किन्तु उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों का हमेशा से उल्लंघन किया जा रहा है।

उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति जल एवं वायु तथा हैजाईस प्राधिकार प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग से उत्प्रवाह का निस्तारण, वायु उत्सर्जन एवं हैजाईस सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की निरीक्षण आख्य अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
अत्र अभियन्ता

  
(यू०एन०उपाध्यय)  
सहा०पर्या०अभियन्ता

अधिकारी महोदय।

  
10/11



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३ए सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर कानपुर - २०८ ०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

1312/A-10/03

दिनांक ५-९-०३

दिनांक

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अभियंता । वृत्त २।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ।

41877  
5-9-03

विषय : बेसिक क्रोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा हेजार्डस सालिड वेस्ट निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० एफ 18400 /सी- 2/ सा० हेजार्डस- 171/ 2003दि० 17.07.03 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में मे० अमिलिहा टेक्सटाइल्स प्रा० लि०, रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण इस कार्यालय के सह० पर्यावरण अभियंता एवं अवर अभियंता द्वारा किया गया। उद्योग द्वारा बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले क्रोम युक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी भण्डारण हेतु पक्का टैंक बनाया गया है, परन्तु उद्योग द्वारा उक्त हेजार्डस वेस्ट को उक्त टैंक में न डालकर रोड साइड व आस पास के अन्य क्षेत्रों में डाला जा रहा है, जिस हेतु बोर्ड द्वारा कई बार निर्देश भी दिये जा चुके हैं, परन्तु उद्योग द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राज मार्ग द्वारा कालपी मार्ग को चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है, परन्तु रोड साइड पर वेस्ट का डाले जाने से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ग्राम कुम्भी अकबरपुर रीजियां में हेजार्डस वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सामूहिक हेजार्डस वेस्ट स्थल पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

8/21/03  
आई० एन० त्यागी ।  
क्षेत्रीय अधिकारी

पुरतलिका

5/9/03

संजीव...

4/9

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक २१.०८.०३ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री सन्तोष पाण्डेय, मैनेजर उपस्थित थे। आख्य निम्नवत् है।

१. उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओए, सोडा ऐश, कास्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक ब्रोम सल्फेट का उत्पादन २.० टन प्रति दिन किया जाता है।
२. उद्योग में जल का प्रयोग धरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उद्योग में न्यूट्रियल इजेशन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्रवाह को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
- ३। उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में ३.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग ३० मी० है। उद्योग में एक व्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ ३० मी० ऊँची व्यवस्था स्थापित है।
४. उद्योग में क्रोमयुक्त परिसंकटयम ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी मण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
५. उद्योग परिसर में भी क्रोमयुक्त वेस्ट को कच्ची भूमि पर रख जाता है तथा उद्योग द्वारा बोर्ड के आदेशों की अवहेलना कर वेस्ट का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर रोड साइड तथा आस-पास की भूमि पर डाला जा रहा है।
६. कानपुर-देहात कुम्भी में परिसंकटयम अपशिष्ट सामुहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आर्बन्टित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

आख्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

क्षेत्रीय अधिकारी

(अवर अभियन्ता)

(सहा० पर्या० अभियन्ता)

02/09/03



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर - २०८ ०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

4657 E-4/106

17/5/04

दिनांक

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ।

50

विषय:-

श्री० सेखरीम कामरुल्लाह प्रा० नि० - शानियाँ  
कानपुर देहात की नवीनतम निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। उक्त के सम्बन्ध में मांगी गयी उद्योग की निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। दिनांक 13.5.2004 को कुम्भी में BCS ड्रागिंग करके निकाला गया कचरा को निरीक्षण किये हुए कुम्भी में solid waste डालने का विषय उक्त आख्या में उल्लेखित है।

सुवदीय

(प्रमोद मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
तद दिनांक

पृ०सं०

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव महोदय को अवलोकनार्थ एवं सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

सदस्य सचिव महोदय

18/5/04

18/5

सुपरवाइजर

18/5

सदस्य सचिव

19/5/04


मेसर्स सेरुलीन कैमिकल्स प्रा० लि०, रनियां कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 26.04.04 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री सन्तोष पाण्डेय मैनेजर उपस्थित थे। आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग द्वारा कोमाइट ओर सोडा ऐश कास्टिक सल्फयूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर शेरिक कोम सल्फेट का उत्पादन 4 टन प्रति दिन किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। उद्योग में न्यूट्रल इंजेशन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्रावह को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
3. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में 3.0 टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध धिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मी० है। उद्योग में ब्यायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में 3.0 टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ 25 मी० ऊंची व्यवस्था स्थापित है स्टैक मॉनिटरिंग हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नहीं है।
4. उद्योग में कोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थाई भण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
5. कानपुर देहात कुम्भी में परिसंकटमय अपशिष्ट सामूहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक पर्या० अभियन्ता)

  
(क्षेत्रीय अधिकारी)

रनियों, कानपुर देहात स्थित बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाले उद्योगों के निरीक्षण के संबंध में आख्या :

रनियों, कानपुर देहात स्थित बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाईयों मै० हिल्जर कैमिकल्स, मै० सेरुलियम कैमिकल्स, मै० चांदनी कैमिकल्स व मै० वारिस कैमिकल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी एवं श्री प्रमोद मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा डा० पी०सी०शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी के साथ दिनांक १२-८-०४ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाये गये।

उद्योगों द्वारा कोमाइट ओर, कोम ऐश, कार्बिक, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है।

उद्योगों में कोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट जनिता होता है जिसके अरथाई गण्डारण हेतु उद्योग परिसर में ही एक पक्का टैंक बनाया गया है, जिसमें आंशिक रूप से परिसंकटमय वेस्ट पाया गया। उद्योगों द्वारा परिसंकटमय वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है। परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण सड़क के आसपास खुले स्थान पर किया जा रहा है जिससे भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने की प्रबल सम्भावना है।

उक्त उद्योगों को पूर्व में एक माह की अवधि हेतु सशर्त प्राधिकार इस उद्देश्य से दिया गया था कि यह उद्योग अपने परिसंकटमय अपशिष्टों का निस्तारण कुम्भी, कानपुर देहात में "मै० कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति" द्वारा विकसित किए जा रहे परिसंकटमय अपशिष्ट स्थल पर करेंगे, परन्तु उक्त उद्योगों द्वारा वर्तमान में इस संबंध में कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है। कुम्भी, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थल का भी निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल पर बिना कोई समुचित विकास कार्य किये परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किया गया है। एक स्थान पर भूमि पर पालीथीन बिछा कर परिसंकटमय ठोस अपशिष्टों का एकत्रण किया गया है परन्तु उक्त पालीथीन भी कई स्थलों पर फटा पाया गया, जिससे उक्त स्थान पर बरसात आदि होने से अधिकांश मात्रा में सर्फेस रन आफ / लीचेट आदि से भूगर्भीय जल के प्रदूषण होने की प्रबल सम्भावना है। उक्त परिस्थिति में उपरोक्त उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सदस्य सचिव

(पी० सी० शर्मा) 13/8/04  
वैज्ञानिक अधिकारी

(के० के०-शर्मा) 13/8/2004  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता(वृत्त-२)

५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर-१७ (पो)

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17 (Post Box-1073)

संदर्भ.....

51/ H-1/96

दिनांक 19-2-96

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता हेजाईस  
वृत्त 6  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ  
-----

महोदय,

इस कार्यालय के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डा० शोभा यतुर्वेदी द्वारा दिनांक 8-2-96 प्राधिकार के संबंध में निम्न उद्योगों का निरीक्षण किया गया जिसे की आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय  
आर० सी० चौधरी  
क्षेत्रीय अधिकारी

- 1- मे० गुडलस नेरोलेक पेन्ट जैनपुर, कानपुर देहात।
- 2- मे० सेस्लीन केमिकल्स रनियां कानपुर देहात।
- 3- मे० वारिस केमिकल्स रनियां कानपुर देहात।

मे० गुडलस नेरोलेक पेन्ट जैनपुर  
report on 21/2/96

SA

परी

उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण अचेहस्ताक्षरी द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, अत्र अभियन्ता के साथ दिनांक १७.१०.२००० को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बी०आर०कुशवाहा उपस्थित थे । निरीक्षण के दौरान निम्नवत् तथ्य प्रकाश में आये :

१. उद्योग द्वारा क्रोममाइट ओर, सोडा एश, सल्फ्यूरिक एसिड, सीरा का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हुये बेसिक क्रैम सल्फेट एवं सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है । निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादन रत पाया गया ।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में मुख्यतः लीविंग प्रक्रिया एवं व्वायलर में किया जाता है ।
३. घरेलू उत्प्रावाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोक पिट में किया जाता है । प्रक्रिया से किसी प्रकार का उत्प्रावाह नहीं निकलता है ।
४. उद्योग में कोल फायर्ड व्वायलर एवं रोस्टिंग फरनेश स्थापित किया गया है । ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है । उपरोक्त में वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित नहीं है । उत्सर्जन हेतु चिमनी बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित किया गया है । उत्सर्जन नमूना एकत्र करने हेतु मॉनिटरिंग प्लेटफार्म एवं पोर्ट होल स्थापित नहीं किया गया है ।
५. उद्योग के उत्पादन प्रक्रियाओं से मुख्यतः क्रोमियमयुक्त स्लज निकलता है जो लगभग २.५ मै०टन/दिन है । उक्त को न्यूट्रलाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं स्थापित किया गया है । प्रक्रिया से जनित क्रोमियमयुक्त स्लज को स्टोरेज करने हेतु उद्योग परिसर के अन्दर अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था की गयी है । स्लज को उद्योग परिसर में बने टैंक में नहीं जाता पाया गया । उक्त स्लज को उद्योग परिसर के बाहर लड़वे के किनारे एवं आस-पास की भूमि पर डाला जाता पाया गया ।
६. इस कार्यालय द्वारा हैजाईस सॉलिड वेस्ट को उद्योग परिसर में बने टैंक में डालने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं किन्तु उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों का हमेशा से उल्लंघन किया जा रहा है ।
७. उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति जल एवं वायु तथा हैजाईस प्राधिकार प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग से उत्प्रावाह का निस्तारण, वायु उत्सर्जन एवं हैजाईस सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
अत्र अभियन्ता

  
(यू०एन०उपाध्यय)  
सहा०पर्या०अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ।

  
१६/११





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राज्य सत्भावना नगर, आनारा विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर-२०८०१७  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
REGIONAL OFFICE :

243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

संदर्भ 245/ H-1/ 2000

दिनांक 15.4.2000

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (हैर्जार्ड्स)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
कानपुर-वेल्डिंग - 1. 10/1/2000

1829  
25-4-2000

विषय

बेसिक क्रोम सल्फेट बनाने वाले उद्योगों द्वारा क्रोम युक्त वेस्ट को उद्योग परिसर के बाहर डालने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करना है कि रनिच क्षेत्र में स्थापित बेसिक क्रोम सल्फेट बनाने वाले उद्योगों द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी क्रोम युक्त हैर्जार्ड्स वेस्ट को उद्योग परिसर के बाहर व रोड साइड में डाला जा रहा है । जिससे भूमिगत जल के प्रदूषित होने की सम्भावना है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन उद्योगों को अपने स्तर से भी कोई निर्देश जारी करने की कृपा करें । तथा इन उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी करना चाहेंगे जिससे कि इस क्षेत्र में व्याप्त परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सम्भावित भूमिगत जल व प्रदूषण को रोक जा सके । इन उद्योगों में से अधिकतर ने न तो बोर्ड से सहमति ही प्राप्त किया गया है न ही बोर्ड से प्राधिकार ही प्राप्त किया गया है । दिनांक १६.०२.२००० को माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री द्वारा भी इत्यादि दौरे के समय भी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

कानपुर - देहात में निम्न इकाईयों जिनका विस्तृत निरीक्षण आख्य संलग्न है ।

१. मेसर्स सेरुलीन केमिकल प्रा० लि०, ✓
२. मेसर्स हिलजर केमिकल प्रा० लि०, ✓
३. मेसर्स धारिस केमिकल प्रा० लि०, ✓
- मेसर्स चौदनी केमिकल प्रा० लि०, ✓
- मेसर्स कमणी केमिकल प्रा० लि०, कर्तमान में तंद

विस्तृत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि संदर्भित इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरण

अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत कार्यवाही करने की कृपा करें ।

भवदीय

(पारस नार्थ)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
तद्विनांक

पुं०सं०  
प्रतिलिपि

१. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।  
सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
२. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

क्षेत्रीय अधिकारी


उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा \_\_\_\_\_ अवर अभियन्ता के साथ दिनांक

07-4-2000 को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री की. आर. कुशावार्डा, कनेक्ट

उपस्थित थे । आख्य निम्नवत् है ।


१. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
२. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्रोमयुक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
३. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थाई भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को न डाल कर उसे परिसर से बाहर एवं कालपी रोड के किनारे डाला पाया गया , जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भावना है । इस हेतु उद्योग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा चुका है परन्तु उद्योग द्वारा वेस्ट को उद्योग परिसर में बने अस्थाई भण्डारण व्यवस्था में न डाल कर बाहर डाल दिया जाता है ।
४. उद्योग द्वारा वर्ष २००० हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
५. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्राधिकार प्राप्त किया गया है/नहीं किया गया है ।

आख्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
07/4/2000  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक अभियन्ता)

~~क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ।~~





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३ए सदुभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर कानपुर - २०८ ०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ

1311/V-203

२१ (२९)

दिनांक

4-9-03

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियंता । वृत्त २।,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

4896

5-9-3

विषय 8बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा हेजार्डस सालिड वेस्ट निस्तारण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० एफ 18400 /सी- 2/ सा० हेजार्डस- 171/ 2003दि० 17.07.03 का  
सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में में० चारिस केमिकल प्रा० लि०, रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण इस  
कार्यालय के सहा० पर्यावरण अभियंता एवं अवर अभियंता द्वारा किया गया। उद्योग द्वारा बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन  
किया जाता है। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले कोम युक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी  
भण्डारण हेतु पक्का टैंक बनाया गया है, परन्तु उद्योग द्वारा उक्त हेजार्डस वेस्ट को उक्त टैंक में न डालकर रोड साइड व  
आस पास के अन्य क्षेत्रों में डाला जा रहा है, जिस हेतु बोर्ड द्वारा कई बार निर्देश भी दिये जा चुके हैं, परन्तु उद्योग द्वारा  
बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राज मार्ग द्वारा कालपी मार्ग को चार लेन बनाने का कार्य  
प्रगति पर है, परन्तु रोड साइड पर वेस्ट का डाले जाने से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ग्राम कुम्भी अकबरपुर  
रनियां में हेजार्डस वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सामूहिक हेजार्डस वेस्ट स्थल पर  
अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत  
कार्यवाही करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

प्रस्तावित

/संजीव...

*[Handwritten signature]*

5/9/03

6/9

*[Handwritten signature]*

6/9

अनुमोदित

*[Handwritten signature]*

6/9

भारतीय

*[Handwritten signature]*

आई० एन० त्यागी।

क्षेत्रीय अधिकारी

सर्स वारिस केमिकल प्रा० लि०, रनिया, कानपुर-देहात की निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक २१.०८.०३ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बी०आर०कुशवाहा, मैनेजर उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है:

१. उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओए, सोडा ऐश, कास्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन ३० टन प्रति दिन किया जाता है।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उद्योग में न्यूट्रियल इजेशन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्लावक को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
३. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग ३० मी० है। उद्योग में थर्मो पैक व्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ २५ मी० ऊँची व्यवस्था स्थापित है।
४. उद्योग में क्रोमयुक्त परिसंकटयम ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी मण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
५. उद्योग परिसर में भी क्रोमयुक्त वेस्ट को कच्ची भूमि पर रख जाता है तथा उद्योग द्वारा बोर्ड के आदेशों की अवहेलना कर वेस्ट का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर रोड साइड तथा आस-पास की भूमि पर डाला जा रहा है।
६. कानपुर-देहात कुम्भी में परिसंकटयम अपशिष्ट सामुहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आबंटित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहा०पर्या०अभियन्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी

  
02/09/03

रनियों, कानपुर देहात स्थित बेसिक क्रोम सल्फेट उत्पादन करने वाले उद्योगों के निरीक्षण के संबंध में आख्या :

रनियों, कानपुर देहात स्थित बेसिक क्रोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाईयों मै० हिल्जर कैमिकल्स, मै० सेरुलियन कैमिकल्स, मै० चांदनी कैमिकल्स व मै० वारिस कैमिकल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी एवं श्री प्रमोद मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा डा० पी०सी० शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी के साथ दिनांक १२-८-०४ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाये गये।

उद्योगों द्वारा क्रोमाइट ओर, क्रोम ऐश, कास्टिक, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है।

उद्योगों में क्रोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थाई भण्डारण हेतु उद्योग परिसर में ही एक पक्का टैंक बनाया गया है, जिसमें आंशिक रूप से परिसंकटमय वेस्ट पाया गया। उद्योगों द्वारा परिसंकटमय वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है। परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण सड़क के आसपास खुले स्थान पर किया जा रहा है जिससे भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने की प्रबल सम्भावना है।

उक्त उद्योगों को पूर्व में एक माह की अवधि हेतु सशर्त प्राधिकार इस उद्देश्य से दिया गया था कि यह उद्योग अपने परिसंकटमय अपशिष्टों का निस्तारण कुम्भी, कानपुर देहात में "मै० कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति" द्वारा विकसित किए जा रहे परिसंकटमय अपशिष्ट स्थल पर करेंगे, परन्तु उक्त उद्योगों द्वारा वर्तमान में इस संबंध में कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है। कुम्भी, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थल का भी निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल पर बिना कोई समुचित विकास कार्य किये परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किया गया है। एक स्थान पर भूमि पर पालीथीन बिछा कर परिसंकटमय ठोस अपशिष्टों का एकत्रण किया गया है परन्तु उक्त पालीथीन भी कई स्थलों पर फटा पाया गया, जिससे उक्त स्थान पर बरसात आदि होने से अधिकांश मात्रा में सर्फेस रन आफ / लीचेट आदि से भूगर्भीय जल के प्रदूषण होने की प्रबल सम्भावना है। उक्त परिस्थिति में उपरोक्त उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ के अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सदस्य सचिव

( पी० सी० शर्मा ) 13/8/04  
वैज्ञानिक अधिकारी

( के० के० शर्मा ) 13/8/2004  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-२)

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बाड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३, सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर - २०८ ०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

464 / V-2104

अ. (३०)

दिनांक 15.5.04

संदर्भ  
सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (पृत्त-2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ।

विषय:-

श्री. वारिश्च केमिकल्स प्रा० लि० बनिधा  
कानपुर देहात की नवीनतम निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। उक्त के सम्बन्ध में  
मांगी गयी उद्योग की निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की  
जा रही है। दिनांक 13-5-2004 को उम्मी से BCS इन्फोर्मेंशन एंड  
बिना गैलियम की न किमत लिखे हुए 504d 093de  
उक्त लिखा हुआ जाया गया।

सूच्य

(प्रमोद मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
तद दिनांक

पुसं०

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव महोदय को अवलोकनार्थ एवं सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

*Sumit Kumar & Son*

*[Signature]*  
18/5/04

*[Signature]*  
18/5

*[Signature]*  
18/5/04


*[Signature]*  
18/5

भेसर्स चारिस कौमिकल्स प्रा०लि०, रनियां कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 21.04.04 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बी० आर० कुशवाहा उपस्थित थे। आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग द्वारा कोभाइट ओएल सोडा ऐश कार्बिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन उठन प्रति दिन किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। उद्योग में स्थूटिथल इंजेक्शन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्पत्ताह को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
3. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में 2.0 टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध विमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मी० है। उद्योग में ब्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में 2.0 टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइपलोन डस्ट कलेक्टर के साथ 25 मी० ऊंची व्यवस्था स्थापित है।
4. उद्योग में कोभयुक्त परिसंकटमय टोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थाई गण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
5. कानपुर देहात कुम्भी में परिसंकटमय अपशिष्ट सामूहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक पर्या० अभियन्ता)

  
(क्षेत्रीय अधिकारी)

2462/V-2/09

16/06/09

सेवा में

मै० वारिस केमिकल्स प्रा० लि०  
उमरन, खानघन्दपुर,  
रनियां  
जनपद, कानपुर देहात।

विषय: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट का समुचित निस्तारण न किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत बंदी आदेश का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लें। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट का समुचित निस्तारण न किये जाने के कारण आपके उद्योग के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत बंदी आदेश निर्गत किया गया था जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 25828सी-2/सा० 323 /2007 दिनांक 18-12-07 द्वारा पुनः आदेश जारी किया गया था। उक्त बंदी आदेश का अनुपालन उद्योग का संचालन इस कार्यालय द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अवरुद्ध कराया गया था। बोर्ड मुख्यालय के पुनः पत्र संख्या एफ 47150/ सी-2/हैजार्डस/ 440/09 दिनांक 01-04-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि सन्दर्भित उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट मशीनरी, शेड एवं अन्य सयंत्रों तथा सम्बन्धित भूमि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा नये उद्योग की स्थापना हेतु स्थल विकास कार्य आदि न करें।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने सन्दर्भित उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट मशीनरी, शेड अन्य सयंत्रों तथा सम्बन्धित भूमि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा नये उद्योग की स्थापना हेतु स्थल विकास कार्य आदि बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक न करें अन्यथा उक्त से सम्बन्धित उद्योग के विरुद्ध की जाने वाली नियमानुसार किसी भी कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं होगा।

भवदीया

(1) 16/06/09

(डा०(श्रीमती)शोभा चतुर्वेदी)

क्षेत्रीय अधिकारी

तददिनांक:

१६

पु०स०:

प्रतिलिपि:

- 1- सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- मु० पर्या० अधि० (वृत्त-2) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(1) 16/06/09

क्षेत्रीय अधिकारी

१६

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय

5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर-- 208017

संदर्भ 1708/V-2/06

दिनांक 07/7/06

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभि० (वृत्त-2)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ

विषय: मेसर्स वार्डिन्स कैमिकल्स प्रा० लि०, रनिमों, कागपुर-देहात की  
निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के श्री यू०शी० वर्मा  
सहा०पर्या०अभि०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर एवं श्री बी०के० सिंह, अवर अभियन्ता,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर द्वारा दिनांक 08.06.2006 को किया गया। निरीक्षण  
आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भावदीय  
*Krishna*  
(कुलदीप मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

*व०के०*

श्री० वारिस कैमिकल्स प्रा० लि०, ग्राम - उमरन, रनिमां, तहसील -  
अफवर पुर, जनपद - कानपुर-देहात की निरीक्षण आरख्या -

उक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर कर्मीओं द्वारा दिनांक 9.6.06 में  
किया गया, निरीक्षण के समय श्री कै० सी० अग्रवाल - डाइरेक्टर - श्री  
दिल्लार कैम प्रा० लि०, श्री सुशील चौधरी - अधिकृत प्रतिनिधि श्री  
मुनिकैम इण्डिया प्रा० लि०, श्री अनिल शर्मा - डाइरेक्टर - श्री शर्मा विवेक  
कैमिकल्स प्रा० लि०, श्री संजय दाबड़ा - डाइरेक्टर श्री कलीना कैमिकल्स  
प्रा० लि० उपस्थित थे।

- (1) उक्त उद्योग बोर्ड मुख्यालय के बर्दा आदेश संख्या F51339/C-2/  
Ha3/K-174/05 दिनांक 6.10.05 के अनुपालन में बन्द है।
- (2) उद्योग में किसी प्रकार का उत्पादन कार्य होना नहीं पाया गया है।
- (3) उद्योग परिसर में बेसिक क्रोम सल्फेट इकाई हेतु स्थापित सम्पत्तियों  
को परिसर में ही सिफर (स्थानान्तरित) किया गया है तथा इसके  
एक भाग में टेक्सटाइल्स ड्रेसिंग की एक नई इकाई की स्थापना  
का कार्य किया जा रहा है।  
उक्त परिवर्तन का विवरण उपरोक्त कारणों से  
वर्तमान में उपरोक्त कारणों द्वारा  
असमर्थता व्यक्त की गई है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय  
इस योजना की सभी त्क कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही  
अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी आवेदन दिया गया है।
- (4) हैजार्स वेस्ट के अस्थाई भंडारण हेतु स्थापित टैंक पूर्णतः रिक्त  
पाया गया है।
- (5) शवान चन्द पुर, रनिमां में एकत्रित हैजार्स वेस्ट की स्थिति पूर्ववत्  
देखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था शून्य महसूस की गई है।  
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(कै० के० सिंह)  
अवर अभियन्ता

(धूम सी० वर्मा)  
सहायक यंत्रीक अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

Use our status check app (न)  
गिगमानुसुर (आपकी) गारंटी (न)  
Kanshi

20/6/06

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awasth Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

1210/11-2/14

संदर्भ

दिनांक 16/10/07

सेवा में,

श्री. वारिस कामिलस प्रा. लि.  
दुमरन, बुनिया  
प्लानेट-दुमरन

विषय वायु अधिनियम १९८१ की धारा २१/२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

तपगेवत विषयक आपकी इकाई का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12/8/2007 को किया गया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी इकाई में स्थापित भट्टियों से उत्सर्जित प्रदूषित गैसीय उत्सर्जन के बोर्ड मानकों के अनुरूप नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण की स्थापना नहीं किया गया है तथा धूल चिमनी की स्थापना किया गया है जिस पर सैम्पलिंग पोर्ट एवं प्लेट फार्म की व्यवस्था भी नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भट्टियों से जनित प्रदूषित उत्सर्जनों से आस-पास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा परिवेशीय वायु गुणता भी दूषित हो रही है। अग्रेतर आप द्वारा वायु अधिनियम १९८१ की धारा २१/२२ का अनुपालन किये बगैर औद्योगिक संचालन किया जा रहा है जो वायु अधिनियम १९८१ के वर्णित प्रावधानों का खुला उल्लंघन है जो एक दण्डनीय अपराध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपयुक्त समयबद्ध प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा वायु अधिनियम १९८१ की धारा २१/२२ का अनुपालन सुनिश्चित कर के ही उत्पादन करें अन्यथा बाध्य हो कर आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण नतीजयित्व आपका होगा ।

भवदीय

  
(एस०आर०सचिव)

क्षेत्रीय अधिकारी

तद् दिनांक

प०सं०:

प्रतिलिपि:

मुख्य पर्यावरण अधिकारिता (वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

निरीक्षण संतानि ११/१०/०७



मेसर्स वारिस कैमिकल्स प्रा० लि०, रनियां कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 12.08.2004 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बी० आर० कुशवाहा उपस्थित थे। आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग द्वारा कोगाइट ओए, सोडा ऐश, कार्बेटक, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन 3.5 टन/दिन की सूचना है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। उद्योग से धुलाई/स्पिलेज आदि से जनित उत्प्लावक को न्यूटलाइज करके सीटलिंग टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग किये जाने की व्यवस्था है।
3. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित 3 भट्टियों में ईंधन के रूप में 4.0 टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्टियों से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मी० है किन्तु कोई अन्य वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना नहीं किया गया है एवं न ही चिमनी की मॉनिटरिंग करने हेतु पोर्ट होल एवं प्लेटफार्म की व्यवस्था स्थापित है। उद्योग में ब्यायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में 4.0 टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ 25 मी० ऊंची व्यवस्था स्थापित है स्टैक मॉनिटरिंग हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नहीं है।
4. उद्योग में सूचित उत्पादन क्षमता के अनुसार कोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट लगभग 5.0 टन/दिन जनित होता है जिसके अस्थाई भण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट भरा पाया गया। उद्योग द्वारा जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण आस-पास के क्षेत्रों एवं उद्योग के सामने पड़ी खाली पड़ी जमीन पर डाला जाता रहा है किन्तु वर्तमान में अपशिष्ट को कुम्भी स्थित कामन फेसिलिटी सेन्टर पर निस्तारित करना सूचित किया गया है कुम्भी स्थल का विकास जमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुरूप नहीं किया जा सका है तथा कच्चे गड्ढे में अपशिष्ट डाला गया है। यद्यपि कहीं-2 पालीथीन की सीट डालकर अपशिष्ट डाला गया है तथा आवंटित भूमि के चारों ओर फेन्सिंग के खम्भे हेतु फाउन्डेसन का कार्य किया गया है जिसमें लोहे के एंगिल का लगभग 10 इन्च लम्बा टुकड़ा जमा हुआ है। उक्त स्थल का विकास कार्य कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष के अनुसार फेन्सिंग हेतु चारों तरफ एक एंगिल पोस्ट लगवाये गये थे किन्तु चोरो द्वारा सभी एंगिल फाउन्डेसन से काट लिया गया है। उद्योग को वर्तमान में परिसंकटमय नियम 1989 यथा संशोधित नियम 2003 के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं है। परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण न होने से आस-पास के क्षेत्रों का भूगर्भ जल प्रदूषित होने की पूर्ण सम्भावना बनी हुयी है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक परिसंकटमय निरीक्षक)




मेसर्स वारिस कौमिकल्स प्रा०लि०,रनियां कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 26.04.04 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बी० आर० कुशवाहा उपस्थित थे। आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग द्वारा कोमाइट ओर,सोडा ऐश कास्टिक सल्फयूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन 3टन प्रति दिन किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। उद्योग में न्यूट्रियल इंजेसन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्रवाह को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
3. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईधन के रूप के 2.0 टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मी० है। उद्योग में ब्वायलर स्थापित है जिसमें ईधन के रूप में 2.0 टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ 25 मी० ऊंची व्यवस्था स्थापित है।
4. उद्योग में कोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थाई भण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
5. कानपुर देहात कुम्भी में परिसंकटमय अपशिष्ट सामूहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक पर्या०अभियन्ता)

  
(क्षेत्रीय अधिकारी)



मेसर्स वारिस केमिकल प्रा० लि०, रनिया, कानपुर-देहात की निरीक्षण आख्य ।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक २१.०८.०३ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बी०आर०कुशवाहा, मैनेजर उपस्थित थे। आख्य निम्नवत् है।

१. उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओए, सोडा ऐश, कार्बिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन ३.० टन प्रति दिन किया जाता है।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उद्योग में न्यूट्रियल इजेशन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्लावक को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
३. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग ३० मी० है। उद्योग में थर्मो पैक व्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ २५ मी० ऊँची व्यवस्था स्थापित है।
४. उद्योग में क्रोमयुक्त परिसंकटयम ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी मण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
५. उद्योग परिसर में भी क्रोमयुक्त वेस्ट को कच्ची भूमि पर रख जाता है तथा उद्योग द्वारा बोर्ड के आदेशों की अवहेलना कर वेस्ट का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर रोड साइड तथा आस-पास की भूमि पर डाला जा रहा है।
६. कानपुर-देहात कुम्भी में परिसंकटयम अपशिष्ट सामुहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आर्बन्टित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

आख्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

क्षेत्रीय अधिकारी

  
(अवर अभियन्ता)


  
(सहा० पर्या० अभियन्ता)

  
०२/११/०३

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरी द्वारा अवर अभियन्ता के साथ दिनांक 07-4-2000 को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री श्री. आ. कुश बहा, मै 1/1/11 उपस्थित थे । आख्य निम्नवत् है ।

1. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
2. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्रोमयुक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
3. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थाई भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को न डाल कर उसे परिसर से बाहर एवं कालपी रोड के किनारे डाला पाया गया , जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भवना है । इस हेतु उद्योग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा चुका है परन्तु उद्योग द्वारा वेस्ट को उद्योग परिसर में बने अस्थाई भण्डारण व्यवस्था में न डाल कर बाहर डाल दिया जाता है ।
4. उद्योग द्वारा वर्ष २००० हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु अधिकार प्राप्त किया गया है/नहीं किया गया है ।

आख्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सह.पर्य. अभियन्ता)

~~क्षेत्रीय अधिकारी प्रसिद्ध~~ ।



५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर-१७ (पो)

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17 (Post Box-1073)

संदर्भ.....

51/ H-1/96

दिनांक 19-2-96

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता हेजाईस  
वृत्त 6  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ  
-----

महोदय,

इस कार्यालय के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डा० शोभा यतुर्वेदी द्वारा दिनांक 8-2-96 प्राधिकार के संबंध में निम्न उद्योगों का निरीक्षण किया गया जिसे की आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय  
आर० सी० चौधरी  
क्षेत्रीय अधिकारी

- 1- मे० गुडलस नेरोलेक पेन्ट जैनपुर, कानपुर देहात।
- 2- मे० सेस्लीन केमिकल्स रनियां कानपुर देहात।
- 3- मे० वारिस केमिकल्स रनियां कानपुर देहात।

मे० गुडलस नेरोलेक पेन्ट जैनपुर  
report on 21/2/96

SA

परी

उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण अचेहस्ताक्षरी द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, अत्र अभियन्ता के साथ दिनांक १७.१०.२००० को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बी०आर०कुशवाहा उपस्थित थे । निरीक्षण के दौरान निम्नवत् तथ्य प्रकाश में आये :

१. उद्योग द्वारा क्रोममाइट ओर, सोडा एश, सल्फ्यूरिक एसिड, सीरा का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हुये बेसिक क्रैम सल्फेट एवं सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है । निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादन रत पाया गया ।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में मुख्यतः लीविंग प्रक्रिया एवं व्वायलर में किया जाता है ।
३. घरेलू उत्प्रावाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोक पिट में किया जाता है । प्रक्रिया से किसी प्रकार का उत्प्रावाह नहीं निकलता है ।
४. उद्योग में कोल फायर्ड व्वायलर एवं रोस्टिंग फरनेश स्थापित किया गया है । ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है । उपरोक्त में वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित नहीं है । उत्सर्जन हेतु चिमनी बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित किया गया है । उत्सर्जन नमूना एकत्र करने हेतु मॉनिटरिंग प्लेटफार्म एवं पोर्ट होल स्थापित नहीं किया गया है ।
५. उद्योग के उत्पादन प्रक्रियाओं से मुख्यतः क्रोमियमयुक्त स्लज निकलता है जो लगभग २.५ मै०टन/दिन है । उक्त को न्यूट्रलाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं स्थापित किया गया है । प्रक्रिया से जनित क्रोमियमयुक्त स्लज को स्टोरेज करने हेतु उद्योग परिसर के अन्दर अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था की गयी है । स्लज को उद्योग परिसर में बने टैंक में नहीं जाता पाया गया । उक्त स्लज को उद्योग परिसर के बाहर लड़वे के किनारे एवं आस-पास की भूमि पर डाला जाता पाया गया ।
६. इस कार्यालय द्वारा हैजाईस सॉलिड वेस्ट को उद्योग परिसर में बने टैंक में डालने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं किन्तु उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों का हमेशा से उल्लंघन किया जा रहा है ।
७. उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति जल एवं वायु तथा हैजाईस प्राधिकार प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग से उत्प्रावाह का निस्तारण, वायु उत्सर्जन एवं हैजाईस सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
अत्र अभियन्ता

  
(यू०एन०उपाध्यय)  
सहा०पर्या०अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ।

  
१६/११

सर्वोच्च न्यायालय प्रारम्भिक सत्रियों का न्यून संख्या की वृद्धि निर्दिष्ट आदेश ।

उक्त सत्रियों का निर्दिष्ट की है (अनुच्छेद 233) तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यून संख्या द्वारा निर्दिष्ट 233-234 को विना समान विचार विचारण

सत्रियों प्रतिनिधि के रूप में जो वे (आचार्य) का प्रथम उपाध्यक्ष है ।  
 प्रथम उपाध्यक्ष को संवैधानिक सत्रियों के साथ मिलकर विचार-बैठकी कोष में  
 प्रकाश जाता है फिर उक्त में वाली समझ मानी मिलाया जाता है । यदि  
 सत्रियों संतुष्ट करने के लिए संवैधानिक सत्रियों का प्रयोग किया जाता है ।  
 नये प्रॉपर्टि विचारण निकलता है तथा साथ-साथ रहे जाती है । निर्देश को विचारण  
 माया रहती है । प्रॉपर्टि विचारण का प्रयोग करने को विचारण आदेशों के  
 विचारण प्राप्त होता है । को विचारण सत्रियों का प्रयोग के रूप में उपाध्यक्ष को  
 सत्रियों सत्रियों प्राप्त कर लेता है । उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष सत्रियों का प्रयोग  
 प्रतिनिधि है ।  
 निर्देश के अन्तर्गत उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष सत्रियों का प्रयोग या तथा सत्रियों  
 का निर्देश भी किया जा सकता है जो उक्त कार्य स्थिति में नहीं है ।  
 उपाध्यक्ष को सत्रियों का प्रयोग का प्रयोग नहीं है । उपाध्यक्ष को सत्रियों को  
 प्रकाश नहीं है । सत्रियों को प्रयोग के लिए उपाध्यक्ष प्रतिनिधियों को निर्देशित कर  
 दिया गया है । साथ ही उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष सत्रियों पर उपाध्यक्ष को प्रकाश  
 है । उपाध्यक्ष को प्रयोग । उन सत्रियों को प्रयोग है ।  
 उपाध्यक्ष को प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि उपाध्यक्ष सत्रियों को उपाध्यक्ष  
 सत्रियों को उपाध्यक्ष सत्रियों को प्रयोग सत्रियों को प्रयोग सत्रियों को प्रयोग  
 सत्रियों को उपाध्यक्ष सत्रियों को प्रयोग सत्रियों को प्रयोग सत्रियों को प्रयोग

आदेश सुनाने एवं आदेश सुनाने के लिए सत्रियों को ।

*(Handwritten signature)*  
 (के.के. शर्मा)  
 न्यायाधीश

*(Handwritten signature)*  
 न्यायाधीश

*(Large handwritten signature)*  
 न्यायाधीश

रनियों, कानपुर देहात स्थित बेसिक क्रोम सल्फेट उत्पादन करने वाले उद्योगों के निरीक्षण के संबंध में आख्या :

रनियों, कानपुर देहात स्थित बेसिक क्रोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाईयों मै० हिल्जर कैमिकल्स, मै० सेरुलियन कैमिकल्स, मै० चांदनी कैमिकल्स व मै० वारिस कैमिकल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी एवं श्री प्रमोद मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा डा० पी०सी० शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी के साथ दिनांक १२-८-०४ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाये गये।

उद्योगों द्वारा क्रोमाइट ओर, क्रोम ऐश, कास्टिक, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है।

उद्योगों में क्रोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थाई भण्डारण हेतु उद्योग परिसर में ही एक पक्का टैंक बनाया गया है, जिसमें आंशिक रूप से परिसंकटमय वेस्ट पाया गया। उद्योगों द्वारा परिसंकटमय वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है। परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण सड़क के आसपास खुले स्थान पर किया जा रहा है जिससे भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने की प्रबल सम्भावना है।

उक्त उद्योगों को पूर्व में एक माह की अवधि हेतु सशर्त प्राधिकार इस उद्देश्य से दिया गया था कि यह उद्योग अपने परिसंकटमय अपशिष्टों का निस्तारण कुम्भी, कानपुर देहात में "मै० कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति" द्वारा विकसित किए जा रहे परिसंकटमय अपशिष्ट स्थल पर करेंगे, परन्तु उक्त उद्योगों द्वारा वर्तमान में इस संबंध में कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है। कुम्भी, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थल का भी निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल पर बिना कोई समुचित विकास कार्य किये परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किया गया है। एक स्थान पर भूमि पर पालीथीन बिछा कर परिसंकटमय ठोस अपशिष्टों का एकत्रण किया गया है परन्तु उक्त पालीथीन भी कई स्थलों पर फटा पाया गया, जिससे उक्त स्थान पर बरसात आदि होने से अधिकांश मात्रा में सर्फेस रन आफ / लीचेट आदि से भूगर्भीय जल के प्रदूषण होने की प्रबल सम्भावना है। उक्त परिस्थिति में उपरोक्त उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ के अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सदस्य सचिव

( पी० सी० शर्मा ) 13/8/04  
वैज्ञानिक अधिकारी

( के० के० शर्मा ) 13/8/2004  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-२)

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बाड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३, सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर - २०८ ०१७

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

464 / V-2104

अ. (३०)

दिनांक 15.5.04

संदर्भ  
सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ।

विषय:-

श्री. वारिश्च केमिकल् प्रा० लि० बनिधा  
कानपुर देहात की नवीनतम निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। उक्त के सम्बन्ध में  
मांगी गयी उद्योग की निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की  
जा रही है। दिनांक 13-5-2004 को उम्मी से BCS इन्फोर्मेंशन एंड  
बिना शतलक्षी शर्त के निरीक्षण किए इसे उद्देश्य के लिए  
उत्तर प्रदेश में उम्मा जाया गया।

सूच्य

(प्रमोद मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
तद दिनांक

पुसं०

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव महोदय को अवलोकनार्थ एवं सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

*Sumit Kumar & Son*

*[Signature]*  
18/5/04

*[Signature]*  
18/5/04

*[Signature]*  
18/5/04


*[Signature]*  
18/5/04

भेसर्स चारिस कौमिकल्स प्रा० लि०, रनियां कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 21.04.04 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री बी० आर० कुशवाहा उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है।

1. उद्योग द्वारा कोभाइट ओएल सोडा ऐश कार्बिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन उठन प्रति दिन किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। उद्योग में न्यूट्रियल इंजेक्शन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्पत्ताह को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
3. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में 2.0 टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध विमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मी० है। उद्योग में ब्यायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में 2.0 टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइपलोन डस्ट कलेक्टर के साथ 25 मी० ऊंची व्यवस्था स्थापित है।
4. उद्योग में कोभयुक्त परिसंकटमय टोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी गण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
5. कानपुर देहात कुम्भी में परिसंकटमय अपशिष्ट सामूहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक पर्या० अभियन्ता)

  
(क्षेत्रीय अधिकारी)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय:  
५२४३ सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर-२०८०१७  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

संदर्भ

दिनांक 29.10.98  
4946  
5711129

सेवा में,

मेसर्स रूकमणी केमिकल्स प्रा० लि०,,  
रनिया,  
कानपुर-देहलत ।

विषय  
महोदय,

हैजार्ड्स वेस्ट (क्रोम वेस्ट) के निस्कारण के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त का संदर्भ लेना चाहेंगे । आपको उक्त के सम्बन्ध में कई वार लिखित एवं निरीक्षण के दौरान मौखिक रूप से भी हैजार्ड्स वेस्ट (क्रोमियम युक्त वेस्ट) को उद्योग परिसर से बाहर किसी भी दशा में न डालने तथा किसी भी व्यक्ति को बेचने एवं हस्तगत न करने हेतु निर्देश के साथ उद्योग परिसर में ही अस्थायी स्टोरेज व्यवस्था कर एकत्रित करने हेतु कहा गया है । परन्तु आपके द्वारा हैजार्ड्स वेस्ट (क्रोमियम युक्त अपशिष्ट) को आस-पास के क्षेत्रों में एवं रोड़ साइड में अनवरत डाला जा रहा है । जैसा कि क्षेत्र के भ्रमण के समय देखा गया, जिससे भूगर्भीय जल प्रदूषित होने की सम्भावना है । इस सम्बन्ध में आपको इस कार्यालय के पत्रांक: २४६२/सा-७/९८ दिनांक ०७.१२.९८ द्वारा भी निर्देश जारी किये जा चुके हैं परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रुचि न लेते हुये अधिनियमों का निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है आपके द्वारा बोर्ड से प्रधिकार एवं सहमति भी नहीं प्राप्त की गयी है ।

आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि इधर-उधर डाले गये अपशिष्ट को उद्योग परिसर में अस्थायी स्टोरेज व्यवस्था कर एकत्रित किया जाये एवं भविष्य में किसी भी दशा में हैजार्ड्स वेस्ट को उद्योग परिसर के बाहर न डाला जाये इसका अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा उद्योग/स्वामी के विरुद्ध जनहित में कठोर कार्यवाही करने पर बाध्य होना पड़ेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा ।

भवदीय

(पारस नाथ )  
क्षेत्रीय अधिकारी  
तद्दिनांक

पृ०सं०:

प्रतिलिपि

१.

२.

2287 / 11-1 LP  
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।  
जिलाधिकारी महोदय, कानपुर-देहलत ।  
सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

उद्योग की स्वच्छता हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्रांक 2462/सा-7/98 दिनांक 07.12.98 को ध्यान में रखते हुए उक्त अपशिष्ट को उद्योग परिसर में ही अस्थायी स्टोरेज व्यवस्था कर एकत्रित करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रुचि न लेते हुये अधिनियमों का निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है आपके द्वारा बोर्ड से प्रधिकार एवं सहमति भी नहीं प्राप्त की गयी है ।



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय:

५२४३ सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर-२०८०१७

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

570999  
Rite  
23/11/2000

7/3 / आर. जो. केम्प/ हेर्जाडिस - 285/2000

सेवा में,

5265

दिनांक 18-11-2000

27-11-2000

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता(हेर्जाडिस)

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ ।

विषय

मेसर्स रूकमनी केमिकल्स प्रा० लि०, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, औ०क्षे०, साइड-१, रनिया, कानपुर-देहात के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) १९८९ (संशोधन) - २००० के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओर, सोडाएश, सल्फ्यूरिक एसिड, सीरा का प्रयोग कर बेसिक ब्रोम सल्फेट एवं सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जात है । उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित क्रोम युक्त हेर्जाडिस स्लज लगभग २.५ मै०टन/दिन के स्टोरेज हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी भण्डारण हेतु पक्के टैंक का निर्माण किया गया । उद्योग से जनित खतरनाक प्रकृति के स्लज को उद्योग परिसर में बने टैंक में भण्डारण नहीं किया जाता है । उक्त स्लज को उद्योग परिसर के बाहर आस-पास की जमीन एवं हाइवे के किनारे डाला जाता पाया गया (विस्त्रत निरीक्षण आख्या संलग्न) उद्योग को संदर्भित अधिनियम के अनुपालन करने हेतु इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं (पत्रों की छाया प्रति संलग्न) । उद्योग द्वारा उक्त अधिनियमों का हमेशा उल्लंघन किया जाता रहा है । बोर्ड से प्राधिकार प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग में उत्पादन प्रक्रियाएँ संचालित किया जा रहा है । उपरोक्त संदर्भित उद्योग के विरुद्ध अपशिष्ट पदार्थ के झर-झर डालने पर गम्भीर स्थानीय शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

उद्योग की निरीक्षण आख्या संलग्न करते हुये उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अधिसूचित परिसंकटमय नियमावली १९८९ के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ की सेक्शन-५ में बन्दी की कार्यवाही करने की संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्नक: न० - १ निरीक्षण आख्या

-२. उद्योग को प्रेषित पत्रों की छाया प्रति (१.८५)

भवदीय

leaf  
(पारस नाथ) 18/11  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं०:

तद्दिनांक

प्रतिलिपि:

सदस्य सचिव महोदय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

क्षेत्रीय अधिकारी



मेसर्स रूकमनी केमिकल्स प्रा० लि०, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, औ०क्षे०, साइट-१ रनिय कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, अवर अभियन्ता के साथ दिनांक १७.१०.२००० को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री के०के० जैन उपस्थित थे । निरीक्षण के दौरान निम्नवत् तथ्य प्रकाश में आये :

१. उद्योग द्वारा क्रोममाइट ओर, सोडा एश, सल्फ्यूरिक एसिड, सीरा का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हुये बेसिक क्रोम सल्फेट एवं सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है । निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया ।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में मुख्यतः लीचिंग प्रक्रिया एवं ब्वायलर में किया जाता है ।
३. घरेलू उत्स्रावह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोक पिट में किया जाता है । प्रक्रिया से किसी प्रकार का उत्स्रावह नहीं निकलता है ।
४. उद्योग में कोल फायर्ड ब्वायलर एवं रोस्टिंग फरनेश स्थापित किया गया है । ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है । उपरोक्त में वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित नहीं है । उत्स्रजन हेतु चिमनी बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित किया गया है । उत्स्रजन नमूना एकत्र करने हेतु मॉनिटरिंग प्लेटफार्म एवं पोर्ट होल स्थापित नहीं किया गया है ।
५. उद्योग के उत्पादन प्रक्रियाओं से मुख्यतः क्रोमियमयुक्त स्लज निकलता है जो लगभग २.५ मै०टन/दिन है । उक्त को न्यूट्रलाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं स्थापित किया गया है । प्रक्रिया से जनित क्रोमियमयुक्त स्लज को स्टोरेज करने हेतु उद्योग परिसर के अन्दर अस्थायी भण्डारण की व्यवस्था की गयी है । स्लज को उद्योग परिसर में बने टैंक में नहीं जाता पाया गया । उक्त स्लज को उद्योग परिसर के बाहर ह्राइवे के किनारे एवं आस-पास की भूमि पर डाला जाता पाया गया ।
६. इस कार्यालय द्वारा हैजार्डस सॉलिड वेस्ट को उद्योग परिसर में बने टैंक में डालने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं किन्तु उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों का हमेशा से उल्लंघन किया जा रहा है ।
७. उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति जल एवं वायु तथा हैजार्डस प्राधिकार प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग से उत्स्रावह का निस्तारण, वायु उत्स्रजन एवं हैजार्डस सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
अवर अभियन्ता

(यू०एन०उपाध्यक्ष)  
सहा०पर्या०अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महीदय ।

1  
1/11



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय:

५२४३ सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर-२०८०१७

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

संदर्भ

सेवा में,

दिनांक

14/2/2000

मेसर्स चॉदनी केमिकल्स प्रा० लि०,  
रनिया, कानपुर-देहात ।

विषय: हेजार्ड्स वेस्ट के समुचित डिस्पोजल के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया अवगत हो कि दिनांक २६.११.९९ को आपके एशोसियेशन द्वारा बुलाई गयी बैठक में आप लोगों द्वारा यह सुनिश्चित करने का वचन दिया गया था कि ब्रेग युक्त हेजार्ड्स वेस्ट को किसी भी दशा में उद्योग परिसर से बाहर नहीं डाला जायेगा एवं उसे हर हल में उद्योग परिसर में बने अस्थाई स्टोर टैंक में एकत्रित किया जायेगा परन्तु क्षेत्र के दौरे के समय यह पाया गया कि आपके द्वारा वेस्ट को रोड साइड व अन्य स्थानों पर डाला जा रहा है जो जनहित में उचित नहीं है ।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में हेजार्ड्स वेस्ट डिस्पोजल अधिनियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने पर बाध्य होना पड़ेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा ।

भवदीय

(पारस नाथ)

क्षेत्रीय अधिकारी

तद्दिनांक

पृ०सं०:

342/A-1/2000

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

१.

सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

२.

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (हेजार्ड्स वेस्ट), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

३.

श्री अनिल कुमार शुक्ला, अध्यक्ष, कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति लि०, ११७/एच-१/३४९-बी माडल टाऊन पाण्डू नगर, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि दिनांक २६.११.९९ को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों का समुचित अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय:

५२४३ सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्याणपुर, कानपुर-२०८०१७

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

संदर्भ

1361 / H-286 2000

दिनांक

21.7.2000

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (हैर्जो)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ ।

3365

31-7-2000

विषय

मेसर्स चांदनी केमिकल, रनिया, कानपुर-देहात के स्थल/निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक जी०ओ० ६३२०/परि०/के-२७९/२००० का संदर्भ लेना चाहेंगे । उक्त के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचनाओं सहित उद्योग की विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा-५ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है साथ ही अन्य बेसिक क्रोम सल्फेट बनाने वाले उद्योगों की भी निरीक्षण आख्या संलग्न कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा-५ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित कृपया प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(पारस नाथ)  
क्षेत्रीय अधिकारी


ACE/S  
नि० आख्या संलग्न कर  
आवेदन का के साथ  
प्रशासकीय अड्डा में।  
NO/TC  
2.8.2000


मेसर्स चांदनी केमिकल प्र० लि०, उमरन, रनिथ, कानपुर-देहात की निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अश्वेहस्ताक्षरी द्वारा अवर अभियन्ता के साथ दिनांक २८.०६.२००० को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री प्र० एन० झा (वर्क्स मैनेजर) उपस्थित थे । आख्या निम्नवत् है ।

१. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
२. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कोमयुक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थायी भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
३. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थायी भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को न डाल कर उसे परिसर से बाहर एवं कालपी रोड के किनारे डाला पाया गया, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भावना है । इस हेतु उद्योग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा चुका है परन्तु उद्योग द्वारा वेस्ट को उद्योग परिसर में बने अस्थायी भण्डारण व्यवस्था में न डाल कर बाहर डाल दिया जाता है । निरीक्षण के समय अस्थायी भण्डारण हेतु बनाया गया टैंक पूरा खाली पाया गया ।
४. उद्योग द्वारा वर्ष २००० हेतु बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
५. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्राधिकार प्राप्त किया गया है, नहीं किया गया है ।
६. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । उद्योग को ५० टन प्रति माह उत्पादन क्षमता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था । परन्तु उद्योग द्वारा एक टन प्रतिदिन क्षमता का अतिरिक्त फर्नेश बिना बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही स्थापित कर लिया गया ।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहा० पर्य० अभियन्ता)



ग्राम : पर्यावरण  
Gram : Paryavarān

दूरभाष / Phone : 510999  
फैक्स / Fax : 0512-510999



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३ए सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर कानपुर - २०८ ०१७

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ

1308/ ९-५/०३

दिनांक

५.९.०३

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अभियंता । वृत्त २।,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय : बेसिक कोम सल्फेट उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा हेजार्डस सालिड वेस्ट निस्तारण के सम्बन्ध में।  
यहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० एफ 18400 /सी- 2/ सा० हेजार्डस- 171/ 2003दि० 17.07.03 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में मे० सेस्लीन केमिकल्स प्रा० लि०, रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण इस कार्यालय के सह० पर्यावरण अभियंता एवं अवर अभियंता द्वारा किया गया। उद्योग द्वारा बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले कोम युक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु उद्योग परिसर में अस्थायी भण्डारण हेतु पक्का टैंक बनाया गया है, परन्तु उद्योग द्वारा उक्त हेजार्डस वेस्ट को उक्त टैंक में न डालकर रोड साइड व आस पास के अन्य क्षेत्रों में डाला जा रहा है, जिस हेतु बोर्ड द्वारा कई बार निर्देश भी दिये जा चुके हैं, परन्तु उद्योग द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राज मार्ग द्वारा कालपी मार्ग को चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है, परन्तु रोड साइड पर वेस्ट का डाले जाने से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ग्राम कुम्भी अकबरपुर रनियां में हेजार्डस वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सामूहिक हेजार्डस वेस्ट स्थल पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

/संजीव...

भारतीय  
जाई० एन० त्यागी।  
क्षेत्रीय अधिकारी  
५/९/०३

मेसर्स सेरूलिन केमिकल प्रा० लि०, रनिया, कानपुर-देहात की निरीक्षण आख्य ।

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक २१.०८.०३ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री डी०सी०टिवेदी, मैनेजर उपस्थित थे। आख्य निम्नवत् है

१. उद्योग द्वारा क्रोमाइट ओए, सोडा ऐश, कास्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन १५० टन प्रति माह किया जाता है।
२. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उद्योग में न्यूट्रियल इजेशन की प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्रावह को टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग कर लिया जाता है।
३. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित भट्ठी में ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी से सम्बन्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग ३० मी० है। उद्योग में व्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में २.० टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ २५ मी० ऊँची व्यवस्था स्थापित है स्टैक मॉनिटरिंग हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नहीं है।
४. उद्योग में क्रोमयुक्त परिसंकटयम ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसके अस्थायी मण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट पाया गया। उद्योग द्वारा वेस्ट को आस-पास के क्षेत्रों में डाल दिया जाता है।
५. उद्योग परिसर में भी क्रोमयुक्त वेस्ट को कच्ची भूमि पर रखा जाता है तथा उद्योग द्वारा बोर्ड के आदेशों की अवहेलना कर वेस्ट का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर रोड साइड तथा आस-पास की भूमि पर डाला जा रहा है।
६. कानपुर-देहात कुम्भी में परिसंकटयम अपशिष्ट सामुहिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति को भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु विकास कार्य के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

आख्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

क्षेत्रीय अधिकारी

(अवर अभियन्ता)

(सहायक अभियन्ता)

02/09/03

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय

5243, सदमावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर- 208017

संदर्भ 2478/C-4/05

दिनांक 29/9/05

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ


विषय: मै० सेरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०, रनिया, कानपुर देहात को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 20.01.05 द्वारा बन्दी आदेश जारी किए गये थे। बन्दी आदेश के अनुपालन में उद्योग को बोर्ड द्वारा प्रशासन के सहयोग से दिनांक 07.02.05 को सील/बन्द कर दिया गया था। उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.08.05 (संलग्न है) द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में उल्लेखित कमियों को पूरा करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है। उद्योग द्वारा दी गई सूचनाओं/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सत्यापन हेतु उद्योग का निरीक्षण दिनांक 12.09.05 को श्री यू०सी० वर्मा, सहा०पर्या०अभि० एवं श्री बी०के० सिंह, अवर अभि० द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। निरीक्षण आख्या के अनुसार उद्योग में स्थापित ब्यालर में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र साइक्लान डस्ट कलेक्टर स्थापित कर लि. गया है तथा फर्नेश पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साइक्लान डस्ट कलेक्टर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उद्योग में अस्थायी व्यवस्था की गई है। जिसका भण्डारण क्षमता तीन माह के लिए है। उद्योग ग्राम कुम्भी के सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था का सदस्य है। अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा हैजार्डस वेस्ट के प्रबन्धन के सम्बन्ध में निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.02.05 दी गई है। उद्योग परिसर के बाहर ग्राम-खानचन्दरपुर में अवैध रूप से डाले गये अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः उद्योग का बन्दी आदेश निलम्बित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

भवदीय

  
(एस०आर०सचान)  
क्षेत्रीय अधिकारी



मेसर्स सीरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०, रनिया, कानपुर देहात की निरीक्षण करवा

उपरोक्त उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 200105 द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किए गये थे। जिसके पनुपालन में उद्योग को दिनांक 070205 को सील/बन्द कर दिया गया था। उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 310605 द्वारा भूमिका लिया गया है कि उद्योग द्वारा बन्दी आदेश में उल्लिखित कमियों को पूरा कर लिया है तथा उद्योग को चलाने का अनुमति प्रदान किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उद्योग का अग्रोहस्त परीक्षण द्वारा दिनांक 120905 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री दिलीप अवस्थी, डायरेक्टर उद्योग प्रतिरोधक संस्थान, कानपुर का विस्तृत आख्या निम्नवत् है।

1. उद्योग को सील किए गये सभी बिन्दु सील पाए गये तथा उत्पादन होना नहीं पाया गया।
2. उद्योग द्वारा कोमाइट जबरक, सोडा ऐश, वास्टिक, सल्फ्यूरिक एसिड तथा मोनोसोडियम फॉस्फेट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर के शिक कोम सल्फेट का उत्पादन 05 मी० टन/दिन है।
3. उद्योग में कच्चे माल को स्टोरेज करने हेतु 2 टन/दिन क्षमता प्रत्येक की 03 मट्टियाँ स्थापित हैं, इनमें कोयले का लगभग 2 टन/प्रति मट्टी/दिन प्रयोग होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फर्नेश तथा चिमनी के माध्यम से एक संयंत्र साइक्लान डस्ट कलेक्टर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ए०पी०सी०एस० की डिजाइन उद्योग के पत्र दिनांक 310605 के साथ प्रस्तुत की गई है। तीनों मट्टियों से दो चिमनी सम्बद्ध है, जिसकी ऊँचाई धरातल से लगभग 100 फिट है। चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल एवं फ्लैटफार्म स्थापित है।
4. उद्योग में 1 ब्यायलर स्थापित है। ब्यायलर में राइस हस्क का प्रयोग ईंधन के रूप में लगभग 5 टन/दिन होता है। ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई धरातल से लगभग 25 मी० है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साइक्लान डस्ट कलेक्टर स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल व फ्लैटफार्म स्थापित है।
5. उद्योग में जल का प्रयोग धरेलू/औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है। रिपलेज से जनित उत्प्रवाह को प्रक्रिया में रिसाइकिल किया जाता है। इसके लिए पक्का पिट बना है। औद्योगिक बहिःस्राव बाहर निस्तारित नहीं किया जाता है। धरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाता है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा एक मट्टी के संचालन से जनित मात्रा लगभग 1.0 टन/दिन होती है। इसके अस्थायी भण्डारण हेतु उद्योग परिसर में (40 फिट x 30 फिट x 6 फिट) साइज के सीमेन्ट कांकीट के दो पिट हैं। इसकी कुल भण्डारण क्षमता 20471 घनमीटर है।
7. मी० कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा उद्योग से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अतः निस्तारण ग्राम कुम्भी में सामूहिक व्यवस्था में किया जाना प्रस्तावित है। यह उद्योग इस समिति का सदस्य है। अद्यया, 30प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा हैजार्डस वेस्ट के प्रबन्धन के सम्बन्ध में निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 220205 को दी गई है।

उद्योग की वर्तमान में उत्पादकी क्षमता लगभग 23542 मी० टन है। जिसके अनुसार उत्पादकी भण्डारण क्षमता तीन माह के लिए पर्याप्त है, परन्तु कुम्भी में अस्थायी भण्डारण के पूर्ण होने तक तब तक पहले से बड़े हुए काल को दिखाने करने के परवत् ही प्राधिकार हेतु दिवार किया जाना उचित होगा।

  
 (Dilip Awasthi)  
 डायरेक्टर

  
 (Anil Kumar)  
 अध्यक्ष

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय




मेसर्स सेरुलीन कैमिकल्स प्रा० लि०, रनियां कानपुर देहात की निरीक्षण आख्या।


863

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 10.09.2004 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री दिलीप कुमार अवस्थी (निदेशक) उपस्थित थे। आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग द्वारा कोमाइट ओए, सोडा ऐश कास्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन 150 मी/टन प्रतिमाह किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। उद्योग से धुलाई/स्पिलेज आदि से जनित उत्प्रवाह को न्यूटलाइज करके सैटलिंग टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग किये जाने की व्यवस्था है।
3. उद्योग में कच्चे माल को गरम करने हेतु स्थापित 3 भट्टियों में ईंधन के रूप में 5.0 टन प्रति दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। भट्टियों से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मी० है किन्तु कोई अन्य वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना नहीं किया गया है एवं न ही चिमनी की मानिट्रिंग करने हेतु पोर्ट होल एवं प्लेटफार्म की व्यवस्था स्थापित है। उद्योग में 2.0 टी०पी०एच० का ब्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में 5.0 टन प्रति दिन राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ 25 मी० ऊंची व्यवस्था स्थापित है स्टैक मानिट्रिंग हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नहीं है।
4. उद्योग में सूचित उत्पादन क्षमता के अनुसार कोमयुक्त परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट लगभग 5.0 टन/दिन जनित होता है जिसके अस्थाई भण्डारण हेतु उद्योग द्वारा परिसर में ही एक पक्का टैंक स्थापित किया गया है जिसमें आंशिक वेस्ट भरा पाया गया। उद्योग द्वारा जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण आस-पास के क्षेत्रों एवं उद्योग के सामने पड़ी खाली पड़ी जमीन पर डाला जाता रहा है किन्तु वर्तमान में अपशिष्ट को कुम्भी स्थित कामन फेंसिलिटि सेन्टर पर निस्तारित करना सूचित किया गया है कुम्भी स्थल का विकास जमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुरूप नहीं किया जा सका है तथा कच्चे गड्डे में अपशिष्ट डाला गया है। यद्यपि कहीं-2 पालीथीन की सीट डालकर अपशिष्ट डाला गया है तथा आवंटित भूमि के चारों ओर फेन्सिंग के खम्भे हेतु फाउन्डेसन का कार्य किया गया है जिसमें लोहे के एंगिल का लगभग 10 इन्च लम्बा टुकड़ा जमा हुआ है। उक्त स्थल का विकास कार्य कानपुर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष के अनुसार फेन्सिंग हेतु चारों तरफ एक एंगिल पोस्ट लगवाये गये थे किन्तु चारों द्वारा सभी एंगिल फाउन्डेसन से काट लिया गया है। उद्योग को वर्तमान में परिसंकटमय नियम 1989 यथा संशोधित नियम 2003 के अर्न्तगत प्राधिकार प्राप्त नहीं है।  
उपरोक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु सादर

प्रस्तुत।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक पर्या० अभियन्ता)

(क्षेत्रीय अधिकारी)



तार : पर्यावरण  
Gram : Paryavaran

दूरभाष : 72525, 74773, 72455  
Phone

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'प्रगति केन्द्र,' द्वितीय तल, कपूरथला कॉम्प्लेक्स  
अलीगंज, लखनऊ-२२६०२०



## Uttar Pradesh Pollution Control Board

'Pragati Kendra' 2nd Floor, Kapoorthala Complex,  
Aliganj, Lucknow-226020

संदर्भ सं. 189/92/04  
Ref. No.

दिनांक 26 SEP 1992  
Dated

सेवा में,

श्री. सेरुलीन केमिकल्स (प्रा.) लि.  
रौनिया  
कानपुर (देहात)

**विषय:** परितंत्रण रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात  
नियम 1989 [27.11.89] के अर्न्तगत व्यापक दुर्घटना  
स्थलों एवं सुरक्षा आंकड़े सीट में सूचनार्थ प्रेषित करने के संबंध में।

**महोदय,**

आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा जारी राज्यत्र  
में "परितंत्रण रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम  
1989 जो 27 नवम्बर 1989 को अधिसूचित हो चुके हैं, के अर्न्तगत आपसे यह  
अपेक्षित है कि:-

1. इस अधिसूचना के नियम 5 के अर्न्तगत कितनी व्यापक दुर्घटना की  
सूचना बोर्ड को अनुसूची 6 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. इस अधिसूचना के नियम-7 के अर्न्तगत स्थलों की सूचना अनुसूची  
7 के आधार पर बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. इस अधिसूचना के नियम 10 के अर्न्तगत सुरक्षा रिपोर्ट के संबंध  
में तमस्त सूचनार्थ अनुसूची-9 में भरकर बोर्ड को 15 दिन में उपलब्ध  
कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण  
अधिनियम 1986 के अर्न्तगत कार्रवाई की जासगी जिसकी  
जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय,

श्री. योगेश शर्मा  
पर्यावरण अधिकारी

5/28/10  
No

पृष्ठ सं.

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनाार्थ प्रेषित।  
यदि अभी 24/9/92



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

सी-२५, सर्वोदय नगर, कानपुर-२०८ ००५  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
REGIONAL OFFICE;  
C-25, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208 005

संदर्भ सं०

Ref. No.....

1156/C-70/92

दिनांक

Date.....

29/5/92

To,

M/s Cerulean Chemicals Ltd.  
25-26, Khauchandpur,  
Rania, Kanpur Dehat.

SUB: COMPLIANCE OF MANDATORY PROVISIONS OF WATER AIR & ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986 PARTICULARLY HAZARDOUS WASTE RULES

REF: 100/C-70/92, dated 29/1/92

Sir,

You are manufacturing Basic Chrome Sulfate which is a highly reactive material. Chromium is a highly toxic material and is injurious to environment in general and human health in particular. You do not have adequate arrangement for its safe handling, manufacture storage as well as related pollution Control. Your attention is drawn to following points for immediate action

1. The directions issued vide Board's letters dated 23/7/90 have still not been complied.
2. All raw materials particularly chromium bearing materials must be stored in such a manner that no contamination of soil air or water environment takes place.
3. Cooling water condensates if any should not be allowed to mix up with process materials and wastes.
4. All liquid effluents due to spillages floor wash process waste must be collected through leak proof conveyance system in a collection chamber of adequate capacity.
5. Such liquid effluents must be treated with suitable chemicals so that effluent conforms to prescribed standards. Time bound programme for installation of such E.T.P. must be sent in fifteen days from issue of this letter.
6. Process emissions due to basification of chrome sulfate must be treated in a suitable designed scrubber so that ambient air quality is not affected. Flue gas emissions if any shall be controlled by installation of suitable pollution control devices so as to conform to prescribed standards of emission.
7. Entire process area shall have acid proof tiles on the floor. The floor of process house should be completely covered with either tiles or acid proof cement plaster. Adequate attentions should be paid to good house keeping and process management. Safe handling of raw materials product by products etc shall be under taken.
8. Solid waste from process obtaining chrome liguour should be collected in acid proof tanks and clear supernatant may be used as a primary liguor

Sufficient tanks should be installed to remove maximum traces of chromium. Solid waste should be completely dried on sludge drying beds and packed and sealed in leak proof bags. These sealed bags must be stored in such a manner that no contamination of Air water or soil takes place. The disposal site must be informed to the Board.

Enclosed proform shall be filled and submitted along consent seeking application, if not submitted already. You should also ensure necessary compliance of Water Air and Environment protection Act and send compliance report.

Yours faithfully

( VED PRKASH )  
REGIONAL OFFICER  
Dated as above.

Encl. No.

Copy to.

1. Sri Keshav Kishore, E.E. U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.
2. Sri Sushel Kumar, T. O., U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.

REGIONAL OFFICER

/K.K./

100/C-70/92

29/1/92

सेवा में,

श्री प्रदीप प्रिन्टिंग प्रिंटिंग  
25-26, धानपुर,  
दिल्ली कांसुर, देहा।

ध्यानार्थ:- श्री प्रदीप प्रिन्टिंग, देहा।

विषय:- उद्योग के पतित प्रोम का के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

दुर्भाग्यवश है कि आपके उद्योग का निस्तारण इस कारण से है कि आप द्वारा मर्ग, तदनुसार पर्यावरण अविनाशिता द्वारा दिनांक 18/12/71 को किया गया। निरीक्षण के पत्र में बताया गया कि आपके द्वारा उद्योग के पतित प्रदूषित प्रोम सही के प्रदूषण से प्रदूषित नहीं की व्यवस्था नहीं की गई है तथा इसे सीमित बिन्दु बिना कालपी रॉड के दोनों ओर एक एक किया जा रहा है। विस्तृत सूचना के प्रदूषित होने की सम्भावना है। इस प्रकार आपके द्वारा पतित प्रदूषण निवारण का निर्माण 8 अधिनियम 1974 का स्वच्छ उत्प्रेषण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आपको जोड़ द्वारा अनाधिकृत प्रमाण का इस अर्थ पर निरीक्षण किया गया था कि आप प्रोम सही को सीमित करने के उपरान्त ही निस्तारित करेंगे।

आतः आपको निर्दिष्ट दिने जाते हैं कि आप इस दिशा में व्यवस्थित प्रमाण देकर पुनः पतित प्रदूषण सही का निर्माण कर लें और उद्योग के पतित प्रदूषित प्रोम सही को प्रदूषण के उपरान्त ही निस्तारित करें तथा न किसे जाने की दशा में उद्योग के दिशा की जाने वाली विधिक कार्यवाही की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी जिसके अन्तर्गत उद्योग का संयोजन बन्द किया जा सकता है।

इसका ध्यान है कि उक्त उद्योग का सर्व वायु अधिनियम के प्रावधानों का निस्तारण अन्तर्गत किया जा रहा है तथा हैवाइल तापित वेस्ट का भी निस्तारण अनुमति प्राप्त कर नहीं किया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधीन उत्प्रेषण है। <sup>सर्व प्रमाण</sup> पर्यावरण कार्यवाही सुरक्षा की जाय।

महोदय

श्री प्रदीप प्रिन्टिंग  
धानपुर, देहा।

प्रतिनिधि: निम्न लिखित की तुलना सर्व आकाश कार्यवाही से प्रेषित।

श्री प्रदीप प्रिन्टिंग

मेसर्स सेरुलान केमिकल प्रा. लि. अमरनगर  
निरीक्षण आख्या ।


रनियाँ, कानपुर-देहात की


45

उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा \_\_\_\_\_ अवर अभियन्ता के साथ दिनांक 07-4-2000 को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री आर. एस. शंकर अडायरेक्टर उपस्थित थे । आख्या निम्नवत् है ।

1. उद्योग द्वारा क्रोम ओर का प्रयोग कर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है ।
2. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्रोमयुक्त हैजाईस वेस्ट निकलता है जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड के निर्देशों के उपरान्त उद्योग द्वारा अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था उद्योग परिसर में की गयी है ।
3. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा वेस्ट को अस्थाई भण्डारण हेतु बनाये गये टैंक में क्रोम युक्त वेस्ट को न डाल कर उसे परिसर से बाहर एवं कालपी रोड के किनारे डाला पाया गया , जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने की सम्भावना है । इस हेतु उद्योग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा चुका है परन्तु उद्योग द्वारा वेस्ट को उद्योग परिसर में बने अस्थाई भण्डारण व्यवस्था में न डाल कर बाहर डाल दिया जाता है ।
4. उद्योग द्वारा वर्ष २००० हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है ।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से हैजाईस वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्राधिकार प्राप्त किया गया है/नहीं किया गया है ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
(अवर अभियन्ता)

  
(सहायक अभियन्ता)

~~क्षेत्रीय अभियन्ता महोदय ।~~

